



The Uttaranchal Self-Reliant Co-Operation Act, 2003

Act 4 of 2003

Keyword(s):

Common Need, Co-Operative, Co-Operative Business, Co-Operative Identity, Co-Operative Society, Core Services, Court, Deficit, Deficit Charge, General Meeting, Surplus Refund

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 मई, 2003 ई०

बैशाख 31, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 175/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 21 मई, 2003

अधिसूचना


विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता विधेयक, 2003 को दिनांक 21-5-03 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, सन् 2003 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2003)

सहकारिता की विरचना करने तथा सहकारिताओं को उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए वित्तीय दृष्टि से अग्र्यतर सेवाओं में ऐसी लाभकारी व्यवस्था करके जो उनके द्वारा अनुभव की गई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, एक ऐसे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वशासी, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक, व्यावसायिक उद्यमों के रूप में जो सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में हो, उनके द्वारा संचालित और नियंत्रित हो, संपरिवर्तित करने के लिए तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक जो भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान-सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-



अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 कहलायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।
- (3) यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार उत्तरांचल सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तिथि नियत करते समय राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि घोषणा के विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कोई भी उपबन्ध नियत तिथि से प्रवृत्त नहीं होंगे और उस स्थिति में वैसे उपबन्ध ऐसी तिथि अथवा तिथियों से प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार इसी प्रकार नियत करे।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) "माध्यस्थम् अधिकरण" (Arbitrator Tribunal) से अभिप्रेत है - उस सहकारिता के संगम अनुच्छेदों के अनुसार विवादों का निपटारा करने के लिए सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा गठित किसी व्यक्ति अथवा विषम संख्या में व्यक्तियों का एक समूह ;
- (2) "संगम अनुच्छेद" (Bye-laws) से अभिप्रेत है-ऐसी सहकारिता के प्रवर्तकों द्वारा मूल रूप से तय की गई अथवा इस अधिनियम के अनुसार सहकारिता के सामान्य निकाय द्वारा सहकारिता के कार्यों के प्रबन्धन हेतु समय-समय पर संशोधित संगम अनुच्छेद ;
- (3) "निदेशक बोर्ड" अथवा "बोर्ड" से अभिप्रेत है- सहकारिता का शासी निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे संगम अनुच्छेदों के अधीन सहकारिता के कार्य करने के निदेश सौंपे गए हैं ;
- (4) "मुख्य कार्य पालक" से अभिप्रेत है- वैतनिक या अवैतनिक हैसियत वाला वह व्यक्ति जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार बोर्ड द्वारा सदस्यों, निदेशकों या अन्य में से नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर समिति के नाम से वाद चलाया जा सकेगा तथा जो समिति की ओर से वाद चला सकेगा, जो ऐसे कार्यों का पालन करेगा तथा जिसके ऐसे उत्तरदायित्व होंगे और जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित की गई है ;
- (5) "सामान्य आवश्यकता" से अभिप्रेत है - ऐसी आर्थिक आवश्यकता जो उन सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य है जो सहकारिता बनाने की वांछा करते हैं या जिन्होंने किसी सहकारिता में सदस्यता ग्रहण की है तथा सहकारिता जिन्हें अपनी अग्र्यंतर सेवाओं के उपबन्धों के माध्यम से पूरा करने की प्रत्याशा करती है ;
- (6) "सहकारिता" (कोऑपरेटिव) का जहाँ संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है वहाँ, उससे अभिप्रेत है-इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी, परस्पर सहायता प्राप्त, स्वायत्त, स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक व्यवसायिक उद्यम जो सदस्यों द्वारा महसूस की गई सामान्य आवश्यकता को पूरा करने वाली अग्र्यंतर सेवाओं के वित्तीय रूप से लाभकर उपबन्ध के माध्यम से उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए इसके सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व प्रबन्धन और नियंत्रण में हो ;
- (7) "सहकारी कारोबार" से अभिप्रेत है - कोई ऐसा कारोबार जो सहयोग के सिद्धान्तों के अनुसार कृत्य करने का आशय रखता हो और इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सभी सहकारिताओं को सम्मिलित करता हो ;
- (8) "सहकारी पहचान" से अभिप्रेत है - इस अधिनियम की अनुसूची 'क' में विनिर्दिष्ट सहकारी पहचान का विवरण ;

- (9) "सहकारी समिति" से अभिप्रेत है— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन उत्तरांचल राज्य गठन की तिथि से पूर्व अथवा पश्चात उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति;
- (10) "सहकारी समिति अधिनियम" से अभिप्रेत है— उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 ;
- (11) "अभ्यंतर सेवा" (कोर सर्विस) से अभिप्रेत है— सदस्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सेवायें जिनके माध्यम से सहकारिता समी सदस्यों की उन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का आशय रखती है जिनकी पूर्ति के लिए सहकारिता का गठन किया गया था तथा जिनसे सदस्यों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति की उम्मीद है ;
- (12) "न्यायालय" से अभिप्रेत है— किसी जिले में मूल क्षेत्राधिकार वाला प्रधान सिविल न्यायालय और इसमें मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्च न्यायालय भी शामिल है ;
- (13) "घाटा" से अभिप्रेत है— शेर पर लामांश, यदि कोई हो, की अदायगी के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में आय पर व्यय का शुद्ध आधिक्य ;
- (14) "घाटे का प्रभार" से अभिप्रेत है— घाटे की राशि यदि कोई हो, पूर्णतः या अंशतः पूर्ति करने के लिए संगम अनुच्छेद और साधारण निकाय के संकल्प के अनुसार सहकारिता की सेवाओं के उपयोग या अनुपयोग के अनुपात में सदस्यों से एकत्र की गई या उनके लेखों में विकलित की गई राशि ;
- (15) "प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है— वह सदस्य जो किसी सहायक सहकारिता की प्रोन्नति के समय तथा ऐसी सहकारिता के जिससे वह सहकारिता संबद्ध है, सभा के समय उसके हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है ;
- (16) "निदेशक" से अभिप्रेत है— वह सदस्य जिसे संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता के बोर्ड का निदेशक चुना गया है ;
- (17) "वित्तीय वर्ष" से अभिप्रेत है— संगम अनुच्छेद में अन्यथा व्यवस्था न होने की दशा में वह वर्ष जो अप्रैल के पहले दिन से शुरु होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है ;
- (18) "साधारण निकाय" से अभिप्रेत है — सहकारिता के संबंध में अभिप्रेत उसके समी सदस्य ;
- (19) "साधारण सभा" से अभिप्रेत है — इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार बुलाई गयी तथा संचालित की गयी साधारण निकाय की कोई सभा ;
- (20) "सरकार" से अभिप्रेत है — उत्तरांचल सरकार ;
- (21) "सदस्य" से अभिप्रेत है — ऐसा कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछा है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जो इस अधिनियम एवं संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है और सदस्य बना हुआ है, इसमें सदस्य सहकारिता शामिल है ;
- (22) "सदस्य सहकारिता" से अभिप्रेत है — ऐसी कोई प्राथमिक या सहायक सहकारिता जिसे किसी सहायक सहकारिता की अभ्यंतर सेवाओं की वांछनीयता है और जो इसका उपयोग करने में सक्षम है तथा जिसे इस अधिनियम तथा सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार उस सहायक सहकारिता के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है ;
- (23) "संगम ज्ञापन" से अभिप्रेत है — वह दस्तावेज जो प्रवर्तकों के एक सहकारिता के रूप में गठन की इच्छा को व्यक्त करता है ;
- (24) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है — संगम अनुच्छेद के अनुसार किसी सहकारिता के बोर्ड द्वारा ऐसी सहकारिता के किसी पद हेतु चुना गया निदेशक ;

- (25) "सहकारिता अधिकारी" से अभिप्रेत है - किसी सहकारिता द्वारा उसका कारोबार संपन्न करने अथवा कार्यकलापों के पर्यवेक्षण हेतु पारिश्रमिक अथवा गैर पारिश्रमिक आधार पर नियोजित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव, मुख्य कार्यपालक, प्रबन्धन समिति का सदस्य, कौषाध्यक्ष, लिक्विडेटर अथवा सहकारिता द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति;
- (26) "साधारण संकल्प" से अभिप्रेत है - साधारण निकाय का ऐसा कोई संकल्प जिसे साधारण समा में मत देने का अधिकार रखने वाले, उपस्थित और मतदान में हिस्सा लेने वाले बहुमत सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त हो ;
- (27) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है-ऐसा कोई व्यक्ति अथवा संस्था जो संविदा करने में सक्षम हो ;
- (28) "संभावित सदस्य" से अभिप्रेत है - ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सहकारिता द्वारा प्रदत्त की जा रही अभ्यंतर सेवाओं की वांछा रखता हो और उस सहकारिता का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो परन्तु अभी तक उसका सदस्य न हो ;
- (29) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है-बोर्ड के चुने हुए सदस्यों द्वारा इसकी समाओं एवं साधारण निकाय की समाओं की अध्यक्षता करने, ऐसे अन्य कार्यों को संपन्न करने, ऐसी अन्य शक्तियों एवं दायित्वों को धारण करने के लिए चुना गया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हो तथा बोर्ड द्वारा समनुदेशित किया गया हो ;
- (30) "प्राथमिक सहकारिता" से अभिप्रेत है-ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य व्यक्ति हैं ;
- (31) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है-वह व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सहकारिताओं के रजिस्ट्रार के रूप में तत्समय नियुक्त किया गया हो ;
- (32) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है-ऐसी कोई सहकारिता जिसके सदस्य प्राथमिक सहकारिताएं हों ;
- (33) "विशेष संकल्प" से अभिप्रेत है- साधारण निकाय का ऐसा संकल्प जो कि कम से कम 15 दिन की सूचना पर बुलाई गई समा में मत देने का अधिकार रखने वाले सहकारिता के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक अथवा साधारण समा में उपस्थित एवं मताधिकार का प्रयोग करने वाले दो तिहाई सदस्यों या जो भी कम हो द्वारा पारित किया गया हो ;
- (34) "अधिशेष" से अभिप्रेत है-वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय के ऊपर आय का आधिक्य, जो अंश पूंजी पर लाभांश और बोनस, यदि कोई हो, का मुग्तान के बाद प्राप्त होता है ;
- (35) "अधिशेष प्रतिदाय" से अभिप्रेत है-संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार सहकारिता की सेवा के उपयोग के अनुपात में सदस्यों को दिये गए या उनके लेख्य में जमा या विकलित किए गए अधिशेष का प्रतिदाय।

अध्याय-2

निगमन

सहकारिता का
पंजीकरण

3. (1) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को राज्य सहकारिताओं का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी।
- (2) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे व्यक्तियों में रजिस्ट्रार की कोई एक अथवा अन्य कोई शक्ति, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, प्रदत्त कर सकेगी।
- (3) इस अधिनियम की अधिसूचना की तारीख से अनुसूची 'क' में संदर्भित सभी सहकारिता कारोबार, जिसके सदस्य उत्तरांचल राज्य से बनाए गए होंगे, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होंगे।

- (4) प्राथमिक सहकारिता गठित करने के इच्छुक व्यक्तियों अथवा सहायक सहकारिता गठित करने के इच्छुक प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी संगम ज्ञापन अनुसूची 'ख' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रार को, दस्ती अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।
- (5) इस अधिनियम के अन्तर्गत सात या अधिक व्यक्ति अथवा दो या अधिक सहकारिताएं एक सहकारिता का गठन कर सकेगी।
- (6) रजिस्ट्रार संगम ज्ञापन का पंजीकरण करेगा और उसके संगम अनुच्छेद को अभिलेख पर भी लेगा और अनुसूची 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट, पंजीकरण का एक प्रमाण-पत्र, संगम ज्ञापन की एक प्रमाणित प्रति और स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित संगम अनुच्छेद को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करने की तारीख से साठ दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को भेजेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- (7) यदि इस धारा की उपधारा 4 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई हैं, रजिस्ट्रार ज्ञापन प्रस्तुत करने के 60 दिन के भीतर अस्वीकृति का आदेश, अस्वीकृति के विशिष्ट कारणों सहित पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संसूचित करेगा जैसा कि ज्ञापन में विनिर्दिष्ट किया गया हो :
- परन्तु शर्त यह होगी कि अस्वीकृति का कोई भी आदेश, ज्ञापन में विनिर्दिष्ट प्रवर्तकों की ओर से नियुक्त व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के अवसर दिए बगैर पारित नहीं किया जाएगा।
- (8) रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चयायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सहकारिता इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के अधीन सम्यक रूप से पंजीकृत सहकारिता है जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सहकारिता का पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिया गया है।
- (9) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 75 दिन के भीतर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को न तो पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है और न ही अस्वीकार करने हेतु आदेश प्राप्त होता है, वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
4. (1) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 में अन्यथा प्रावधान होने की स्थिति में भी, सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति अपने सामान्य निकाय के विशेष संकल्प द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण का विकल्प रख सकेगी :

इस अधिनियम के अधीन किसी सहकारिता का संपरिवर्तन

परन्तु यह कि जहाँ सहकारी समिति ने अपनी अंश पूंजी सरकार से प्राप्त की है जो ऐसी दशा में उसे इस पूंजी को पंजीकरण की तिथि से पाँच वर्षों में, संपरिवर्तन की तिथि पर सरकार की कुल अंश पूंजी का, जो कि 15 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम न हो की दर से, वापस करने का लिखित आश्वासन देना होगा।

- (2) ऐसी किसी भी समिति का पंजीकरण इस अधिनियम में निर्धारित उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा एवं जहाँ अनुसूची 'घ' में यथा विनिर्दिष्ट पंजीकरण के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने के 75 दिनों के अन्दर ज्ञापन में विनिर्दिष्ट व्यक्ति न तो अनुसूची 'ड' में विनिर्दिष्ट पंजीकरण का प्रमाण-पत्र ही प्राप्त करता है और न ही अस्वीकृति का आदेश प्राप्त करता है वहाँ ऐसी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझी जायेगी तथा रजिस्ट्रार आगामी 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

सहकारिता एक निगमित निकाय होगी

5. (1) पंजीकरण होने पर प्रत्येक सहकारिता उस नाम से जिसके अधीन वह पंजीकृत की गई है एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने और ऐसी समस्त बातें जो कि उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों जिनके लिए इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अधीन उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी।

संगम अनुच्छेद

6. (1) किसी सहकारिता का गठन करने वाले सदस्यों का संगम अनुच्छेद का एक समुच्चय (सेट) होगा जिसका निरूपण एवं संशोधन समय-समय पर इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं होगा।
 (2) ऐसे विशिष्ट मामलों के अतिरिक्त जिन्हें अधिनियम द्वारा उपबंधित किया गया है और जिन्हें भविष्य में संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकता है किन्तु जो कि सहकारिता के कार्यकलापों के प्रतिकूल नहीं होंगे, को ऐसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।
 (3) संगम अनुच्छेद में इस अधिनियम की अनुसूची 'च' में विनिर्दिष्ट विषयों में से जिनको सदस्यों द्वारा तय किया गया हो का समावेश किया जा सकेगा।

संगम अनुच्छेद का संशोधन

7. (1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपने संगम अनुच्छेद को संशोधित करने का विनिश्चय कर सकेगी :

परन्तु शर्त यह होगी कि उस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित संशोधन के पाठ कारण सहित, प्रत्येक सदस्य को उस साधारण समा की, जिसमें कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार-विमर्श किया जाएगा, सूचना के साथ भेजे जाएंगे।

- (2) संशोधन की एक प्रति सहकारिता द्वारा पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को उस साधारण समा की तिथि से 30 दिन की अल्पावधि के अन्दर अग्रेषित की जाएगी, जिसमें कि वह संकल्प पारित किया गया था।
 (3) रजिस्ट्रार को अग्रेषित किए गए प्रत्येक संशोधन की एक प्रति अध्यक्ष तथा दो संचालकों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसके साथ निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी:-
 (क) उस संशोधन को अंगीकृत करने वाले संकल्प की एक प्रति,
 (ख) साधारण समा की वह तिथि जिसको वह संशोधन अंगीकृत किया गया था,
 (ग) वह तिथि जिसको वह संशोधन प्रवृत्त होगा।
 (4) रजिस्ट्रार सूचना प्राप्त के तुरन्त बाद संशोधन को अभिलेख पर लेगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि यदि रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा संशोधन इस अधिनियम एवं नियम के उपबन्धों के विपरीत है तो वह ऐसे संशोधन को अभिलेख पर लेने से इन्कार कर सकेगा;

परन्तु और यह कि संशोधन को अभिलेख पर लेने से अस्वीकृति का आदेश सम्बन्धित सहकारिता को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

सहकारिता का नाम

8. (1) कोई भी सहकारिता उसी नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी, जिससे कि कोई दूसरी सहकारिता इस अधिनियम के अधीन या सहकारी सगिति अधिनियम के अधीन पूर्व में ही पंजीकृत की गई है :

परन्तु जहाँ किसी सहायक सहकारिता के संगम अनुच्छेद यह अपेक्षा करते हैं कि उसके समस्त सदस्य जो सहकारिताएं हैं, एक सामान्य नाम का प्रयोग करें; वही ऐसी सदस्य सहकारिता के नाम में उसका स्थान या अन्य प्रभेदकारी लक्षण सामान्य नाम के पूर्व या अन्त में सम्मिलित किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक सहकारिता सुपाठ्य अक्षरों में अपना पूरा नाम सहज दृश्यस्थिति में प्रदर्शित करेगी-

(क) प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर जहाँ वह कारोबार करती है;

- (ख) समस्त सूचनाओं और अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;
- (ग) उसकी समस्त सविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, माल हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा-विवरणों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों (क्रेडिट पत्रों) पर; और
- (घ) उसकी ओर से हस्ताक्षरित समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चैकों तथा घनादेशों पर;
- (3) प्रत्येक सहकारिता अपनी सामान्य मुद्रा पर अपना पूरा नाम सुपाठ्य अक्षरों में दर्शित करेगी।
- (4) उपधारा (2) की कोई भी बात किसी सहकारिता को पूरे नाम से अधिक सहजदृश्य रूप से ऐसा कोई संक्षिप्त नाम, जिससे कि वह सामान्यता ज्ञात हो और जिसे विशिष्ट रूप से संगम अनुच्छेद में शामिल किया गया हो, प्रदर्शित करने से प्रतिबन्धित नहीं करेगी।
- (5) कोई भी सहकारिता अपने संगम अनुच्छेद में संशोधन करके अपना नाम परिवर्तन कर सकेगी :
- परन्तु नाम परिवर्तन करने से पूर्व वह सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करने के अपने आशय की सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तावित नाम/नामों के साथ देगी और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सहकारिता को यह सूचित करेगा कि ऐसा नाम किसी दूसरी सहकारिता द्वारा पूर्व से ही उपयोग में है।
- (6) जहाँ कोई सहकारिता अपना नाम परिवर्तन करती है, रजिस्ट्रार:
- (क) सहकारिताओं के रजिस्टर में पूर्व नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट करेगा,
- (ख) संगम ज्ञापन (मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन) और संगम अनुच्छेद में आवश्यक परिवर्तन करेगा,
- (ग) आवश्यक परिवर्तनों सहित पंजीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा,
- (घ) संशोधित ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद की प्रमाणित प्रतियों के साथ पंजीकरण का नया प्रमाण-पत्र पंजीकृत डाक से सहकारिता को संसूचित करेगा।
- (7) किसी सहकारिता के नाम में परिवर्तन उस सहकारिता या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा या ऐसा परिवर्तन उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उस सहकारिता द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हो या प्रारम्भ की जा सकती हो, उसके नए नाम से उरी प्रकार जारी रखी जाएगी या प्रारम्भ की जाएगी।
- (8) ऐसी कोई सहकारिता जो अपना नाम परिवर्तन करती है, नाम में उस परिवर्तन को उस जिले के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित करवायेगी जिसमें उस सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।
9. (1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता रजिस्ट्रार को सहकारिता पंजीकृत कार्यालय के रूप में पंजीकरण के 90 दिन के अन्दर अधिसूचित करेगी।
की स्थिति
- (2) प्रत्येक सहकारिता अपने मुख्यालय का पूरा पता निम्नलिखित पर किसी सहजदृश्य स्थिति में सुपाठ्य अक्षरों में प्रदर्शित करेगी:
- (क) ऐसे प्रत्येक कार्यालय या स्थान जहाँ वह कारोबार करती है;
- (ख) समस्त सूचनाओं में तथा अन्य कार्यालयी प्रकाशनों में;
- (ग) उसकी समस्त सविदाओं, कारोबार संबंधी पत्रों, यात्रा हेतु आदेशों, बीजकों, लेखा विलेखों, प्राप्तियों तथा प्रत्यय पत्रों पर; और
- (घ) उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षरित ऐसे समस्त विनिमय पत्रों, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चैकों तथा घनादेशों पर ;
- (3) कोई भी सहकारिता संचालक मंडल के संकल्प द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय का पता परिवर्तन कर सकेगी।

तथापि वह ऐसे परिवर्तन की सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों, रजिस्ट्रार तथा ऐसी किसी सहायक सहकारिता को ऐसा संकल्प पारित होने के 15 दिन के अन्दर देगा जिससे कि वह संबद्ध हो और उसके सदस्यों एवं लेनदारों को नाम परिवर्तन करने के कम से कम 10 दिन पहले देगा।

(4) रजिस्ट्रार, किसी सहकारिता से पते के परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर, सहकारिता के परिवर्तित पंजीकृत कार्यालय के पूरे पते को सहकारिताओं के रजिस्टर में अभिलेख पर लेगा।

आस्तियों तथा
दायित्वों का अंतरण

10. (1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपनी संपूर्ण आस्तियाँ तथा दायित्व पूर्णतः या आंशिक रूप में, ऐसी किसी अन्य सहकारिता को, जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसी आस्तियाँ तथा दायित्व प्राप्त करने हेतु सहमत होती है, अंतरित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किए जाते हैं वहाँ प्रत्येक सहकारिता उसके द्वारा पारित संकल्प की प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिनों के अन्दर अपने समस्त लेनदारों को तथा उस सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने संगम अनुच्छेद अथवा संविदा के उपबंधों में कोई विपरीत बात होते हुए भी आस्तियों तथा दायित्वों के प्रस्तावित अंतरण का ऐसी आस्तियों तथा दायित्वों को प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस सूचना पर तामीली से 15 दिन की कालावधि के दौरान इस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अधीन रहते हुए अपने हित को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

(3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प के लिए अपनी सहमति दे दी है।

(4) इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि—

(क) प्रत्येक सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे सम्पूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो; और

(ख) सम्बन्धित सहकारिता द्वारा आस्तियों तथा दायित्वों के अंतरण सम्बन्धी सूचना रजिस्ट्रार को प्रेषित कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

(5) जब इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रभावी होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरण में न्यायगत होने के लिए बिना किसी और हस्तांतरण-पत्र के पर्याप्त सूचना होगा।

(6) जब कोई सहकारिता किसी अन्य सहकारिता को अपनी संपूर्ण आस्तियों तथा दायित्वों का इस धारा के अंतर्गत अंतरण करती है तब आस्तियों तथा दायित्वों का अंतरण करने वाली सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिताओं का नाम हटा देगा।

विभाजन

11. (1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करने का विनिश्चय कर सकेगी।

(2) जहाँ इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहाँ सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित विभाजन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के

भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तारीख से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यक्षीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

- (3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।
 - (4) इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि:
 - (क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस अधिनियम की धारा 11 की उपधारा(2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो,
 - (ख) आशयित विभाजन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौते के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने सम्बन्धी उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो, और
 - (ग) जब तक कि इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी परिणामी सहकारिता की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित पंजीकृत प्रमाण-पत्र, संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद की प्रतियां जारी न कर दी गई हों।
 - (5) जब कोई सहकारिता इस धारा के अन्तर्गत स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।
 - (6) जब कोई सहाकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में विभाजित करती है तब ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने विभाजन की अनुमति दी हो या जिसके बारे में यह समझा गया हो कि उसने विभाजन की अनुमति दी है, नवीन रूप से विरंचित उस सहकारिता का सदस्य बन जाएगा जिसको कि उसके हित, ऐसी सहकारिता की साधारण निकाय द्वारा विभाजन की योजना के अनुसार अंतरित किए गए थे।
 - (7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रवृत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।
12. (1) कोई भी दो या उससे अधिक सहकारिताएं विशेष संकल्पों द्वारा स्वयं को सम्मामेलित कर नई सहकारिता बनाने का विनिश्चय कर सकेंगी।
- (2) जहाँ इस धारा की उपधारा (1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है वहाँ प्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबन्धों या संविदा में किसी विपरीत बात के रहते हुए भी, उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अगले 15 दिन के अन्दर अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को देगी जिसने प्रस्तावित सम्मामेलन के पक्ष में मतदान किया है किसी भी लेनदार को उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस संबंधित सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यक्षीन रहते हुए, अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।
- (3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने सम्मामेलन की अनुमति दे दी है।
- (4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष-संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि—

सम्मामेलन

- (क) ऐसी प्रत्येक सहकारिता में उन सदस्यों तथा लेनदारों के जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, सम्पूर्ण दावे पूर्णतः पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;
- (ख) आशयित समामेलन तथा सदस्यों और लेनदारों के दावों के समझौतों के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो; और
- (ग) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र तथा रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित ऐसी सहकारिता की जो समामेलन के परिणामस्वरूप बनाई जाए, इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जारी न कर दी गई हो।

- (5) जब इस धारा के अधीन दो या अधिक सहकारिताएँ स्वयं का समामेलन कर किसी नई सहकारिता का गठन करती हैं तब इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उनका विघटन हो गया है और वे निगमित निकायों के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगी और रजिस्ट्रार इस प्रकार समामेलित की गई सहकारिताओं के नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा।
- (6) जब दो या अधिक सहकारिताएँ इस धारा के अधीन स्वयं का किसी नई सहकारिता में समामेलन करती हैं, तब ऐसी सहकारिताओं के समस्त सदस्य, जिन्होंने समामेलन की अनुमति दी है या जिनके बारे में यह समझा गया है कि उन्होंने समामेलन की अनुमति दे दी है, नई सहकारिता के सदस्य बन गए समझे जाएंगे।
- (7) जब इस धारा की उपधारा(1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प, आस्तियों एवं दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए, बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।

संविलयन

- 13.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा, किसी ऐसी अन्य सहकारिता से जो विशेष संकल्प द्वारा ऐसे संविलयन के लिए सहमत हो, स्वयं को संविलयित करने का विनिश्चय कर सकेगी।
- (2) जहाँ इस धारा की उपधारा(1) के अधीन विशेष संकल्प पारित किया जाता है, वहाँ प्रत्येक सहकारिता, संगम अनुच्छेद के उपबंधों या संविदा में कोई विपरीत बात के रहते हुए भी उसके द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने समस्त सदस्यों तथा लेनदारों को तथा उन सदस्यों से भिन्न किसी अन्य सदस्य को जिसने प्रस्तावित संविलयन के पक्ष में मतदान किया है, अगले 15 दिन के भीतर देगी तथा किसी भी लेनदार को, उस पर सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, उस सहकारिता पर उसके दायित्वों के उन्मोचन के अध्यक्षीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।
- (3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने संविलयन की अपनी सहमति दे दी है।
- (4) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि—
- (क) उस सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे सम्पूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;
- (ख) आशयित संविलयन तथा सदस्यों एवं लेनदारों के, दावों के समझौतों के बारे में जानकारी रजिस्ट्रार को न भेज दी गई हो तथा जानकारी प्राप्त होने बाबत उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।
- (5) जब कोई सहकारिता स्वयं को दो या अधिक सहकारिताओं में संविलयन करती है तब ऐसी सहकारिता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा तथा यह समझा जाएगा कि वह सहकारिता विघटित हो गई है तथा वह एक निगमित निकाय के रूप में

- अस्तित्व में नहीं रहेगी और रजिस्ट्रार, सहकारिताओं के रजिस्टर से ऐसी सहकारिता का नाम हटा देगा।
- (6) जब कोई सहकारिता स्वयं को किसी अन्य सहकारिता में संविलयन करती है तब प्रथम सहकारिता के सदस्य स्वतः ही द्वितीय सहकारिता के सदस्य मान लिये जायेंगे।
- (7) जब इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित विशेष संकल्प प्रदत्त होता है, संकल्प आस्तियों तथा दायित्वों के हस्तांतरी में न्यागत होने के लिए बिना किसी और आश्वासन के पर्याप्त सूचना होगा।
- 14.(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सहकारिता के रूप में पंजीकरण हेतु प्रस्तावित सेवाओं के लिए शुल्क सहकारिता के पंजीकरण ज्ञापन के साथ न्यूनतम पांच सौ रुपये तथा अधिकतम दस हजार रुपये के अध्येधीन रहते हुए प्रस्तावित सहकारिता की प्राधिकृत साम्यपूंजी के एक प्रतिशत के बराबर पंजीकरण शुल्क के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
- परन्तु ऐसी सहकारिता के मामले में जो कोई साम्य पूंजी नहीं रखना चाहती, फीस पांच सौ रुपए होगी।
- (2) सहकारिताओं और अन्यो द्वारा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा की गई सेवाओं के लिए सरकार शुल्क निश्चित कर सकेगी और रजिस्ट्रार को अवगत करायेंगी जो इसके बदले में ऐसी सूचना को इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा।
- परन्तु किसी सेवा के लिए देय शुल्क में कोई परिवर्तन सरकार द्वारा प्रस्तावित सहकारिताओं की टिप्पणी आमंत्रित करते हुए ऐसे परिवर्तन को दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके अथवा स्थानीय इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित करवाकर ही किया जा सकेगा।

अध्याय—3

सदस्यता

- 15.(1) कोई व्यक्ति जिसे सहकारिता की सेवाओं की आवश्यकता है जो सदस्यता के दायित्वों को स्वीकार करने की स्वीकृति व्यक्त करता है, सहकारिता के संगम अनुच्छेद में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करता है तथा सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में है, सदस्यता के लिए आवेदन कर सकेगा और सदस्य बनाया जा सकेगा।
- किसी सहकारिता में सदस्यता के लिए पात्रता
- परन्तु यह है कि सहकारिता आवेदक को सेवाएं देने की स्थिति में है।
- (2) सदस्यता के लिए प्रत्येक आवेदक तथा सहकारिता का प्रत्येक सदस्य ऐसी प्रत्येक सहकारिता को, जिसका कि वह सदस्य है, अन्य सहकारिताओं में अपनी सदस्यता की सूचना देगा तथा अन्य के अलावा विरोधी अथवा दोहरी सदस्यता की दशा में सहकारिता ऐसे व्यक्ति की सदस्यता को वैधानिक रूप से अस्वीकार कर सकेगी या उसे सदस्यता से हटा सकेगी।
- 16.(1) केवल चुने गए बोर्ड द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ही सदस्यता प्रदान की जा सकेगी।
- सदस्य का प्रवेश
- (2) जहां प्रवेश अस्वीकार किया जाए वहां ऐसे आवेदक को विनिश्चय के कारणों सहित ऐसी सूचना विनिश्चय की तिथि से 15 दिन के अन्दर अथवा आवेदन प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अन्दर जो भी पहले हो, पंजीकृत डाक द्वारा संसूचित की जाएगी।
- (3) जहां बोर्ड द्वारा किसी आवेदक का प्रवेश अस्वीकार किया गया है या आवेदक को बोर्ड से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहां आवेदक माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष आवेदन को पुनर्विलोकन करने हेतु बोर्ड से अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड आवेदन को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण

का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तुक यह है कि आवेदक को माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

सदस्यता वापस लेना 17.(1) सहकारिता की संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कोई भी सदस्य किसी भी समय सहकारिता की सदस्यता वापस ले सकेगा।

(2) सदस्यता वापस लेने पर भी किसी व्यक्ति से उन बाध्यताओं की पूर्ति की अपेक्षा की जाएगी जिनका कि मार संगम अनुच्छेद या किसी करार के उपबन्धों के अधीन उसने सदस्य के रूप में अपने ऊपर लिया था अथवा ग्रहण किया था।

सदस्यता की समाप्ति 18.(1) यदि सहकारिता के सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो जाए तो वह सहकारिता का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) सदस्य की मृत्यु की दशा में प्रत्येक सहकारिता, सदस्य के नामनिर्देशिनी को इसकी सूचना देगी तथा प्रत्येक अन्य स्थिति में सदस्यता समाप्त होने के और उसकी परिणामी स्थितियों की सूचना सदस्यों को देगी।

सदस्यता का समाप्त करना 19.(1) किसी भी सहकारिता का बोर्ड किसी भी ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकेगा जिसने सहकारिता के संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय या बोर्ड की नीतियों अथवा सहकारिता के साथ की गई संविदाओं के उल्लंघन सहित सहकारिता के उद्देश्यों एवं हितों के प्रतिकूल रूप से कार्य किया हो :

परन्तुक यह है कि सदस्य को बोर्ड के समक्ष सदस्यता समाप्त न किए जाने के लिए अध्यावेदन करने का समुचित अवसर दिया गया हो।

(2) जहां बोर्ड द्वारा किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई हो वहां वह व्यक्ति बोर्ड से उसके विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखने का अनुरोध कर सकेगा। बोर्ड मामले को माध्यस्थम् अधिकरण की अगली बैठक में रखेगा और माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु शर्त यह होगी कि माध्यस्थम् अधिकरण के विनिश्चय के लंबित रहने तक वह व्यक्ति सहकारिता के साथ केवल ऐसे लेन देन, यदि कोई हो, कर सकेगा जिसकी कि अनुमति बोर्ड द्वारा दी जाए।

सदस्यों का रजिस्टर 20.(1) प्रत्येक सहकारिता सदस्यों का एक रजिस्टर संकलित करेगी। ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ-साथ जैसा कि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए, सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति का नाम, प्रवेश की तारीख और सदस्य का पता रजिस्टर से प्रविष्ट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसकी सदस्यता समाप्त हो गई है या समाप्त कर दी गई थी या वापस ले ली गई थी, रजिस्टर से काट दिया जाएगा।

सहकारिता शिक्षा 21.(1) प्रत्येक सहकारिता प्रतिवर्ष अपने बजट में सहकारिता के सिद्धान्तों और सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार अपनी सहकारिता के विकास के लिए सदस्य और सम्भावी सदस्य की शिक्षा और कर्मचारीबृन्द और बोर्ड के प्रशिक्षण हेतु व्यय के उपबन्ध का समावेश कर सकेगी।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित बजट शीर्ष की कोई अतिशेष राशि वर्ष के अन्त में सहकारी शिक्षा निधि में ले जाई जाएगी और सहकारिता के सिद्धान्तों एवं सहकारिता की पद्धतियों के अनुसार, सदस्यों, सम्भावी सदस्यों, कर्मचारीबृन्द और निर्देशकों को शिक्षित तथा प्रशिक्षित करने के प्रयोजन के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा।

सेवाएं मूल रूप से सदस्यों के लिए 22.(1) किसी सहकारिता की सेवाएं, सामान्यतया, केवल उसके सदस्यों को ही उपलब्ध होंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने के दो वर्ष बाद यदि यह पाया जाता है कि कोई सहकारिता किसी वित्तीय वर्ष में इसके संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट लेन देन के मूल्यों के संदर्भ में, अपनी एवं चौथाई से अधिक अम्यंतर सेवाएं गैर

सदस्यों को प्रदान करती है तो उसे "अपगामी सहकारिता" माना जाएगा और वह उस वर्ष के लिए इस नियम अथवा अन्य नियमों के द्वारा एक सहकारिता होने के आधार पर प्रदान किए जाने वाली छूटों से वंचित हो सकेगी।

- (3) यदि कोई सहकारिता लगातार 3 वर्षों तक 'अपगामी' पायी जाती है तो रजिस्ट्रार द्वारा उसका निगमन समाप्त कर दिया जाएगा अथवा उसे भंग कर दिया जाएगा :

परन्तु यह है कि ऐसी सहकारिता को निगमन समाप्त करने अथवा उसे विघटित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

- 23.(1) किसी सहकारिता का कोई सदस्य, सदस्य के अधिकारों का, जिसमें मत का अधिकार भी शामिल है, तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सहकारिता को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सहकारिता में ऐसा हित निरंतर न रखा हो तथा अर्जित न कर लिया हो जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया जाए। अधिकारों का प्रयोग

- (2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्य पालक पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बीस दिन के अन्दर एक सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार रखने वाले सदस्य होंगे, तथा एक ऐसी सूची तैयार करेगा जिसमें मत का अधिकार न रखने वाले सदस्य होंगे, जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। समस्त सदस्यों की जानकारी के लिए सहकारिता के सूचना पटल पर सूचियां चस्पा की जाएंगी तथा ऐसा कोई सदस्य, जो सूचियों में सदस्यों के समावेश अथवा असमावेश के विशिष्ट उदाहरण से संतुष्ट नहीं है, सूचना पटल पर सूचियों के चस्पा किए जाने की तिथि से 10 दिन के अन्दर, बोर्ड को, अभिलेख का पुनः परीक्षण करने के लिए अपील कर सकेगा तथा बोर्ड, पूर्व वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर सूचियों का पुनरावलोकन करेगा, उन्हें अंतिम रूप देगा तथा सहकारिता के सूचना पटल पर चस्पा करेगा।

- 24.(1) प्रारम्भिक सहकारिताओं में प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति मत देने के लिए पात्र बनने के पूर्व कम से कम एक पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए सदस्य रह चुका हो। सदस्यों का मतधिकार

परन्तु यह और कि एक वर्ष की सदस्यता की शर्त उस सदस्य पर लागू नहीं होगी जो सहकारिता के पंजीकरण / संपरिवर्तन के समय या पंजीकरण / संपरिवर्तन के पश्चात् किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व सदस्य बनते हैं।

- (2) सहायक सहकारिताओं में उनके संगम अनुच्छेद द्वारा प्रारम्भिक सहकारिताओं को उनके सदस्यों के अनुपात में मत देने के अधिकार का प्राविधान किया जा सकेगा।

- 25.(1) कोई सहकारिता सीमित दायित्व सहित पंजीकृत की जायेगी जहां, "सीमित दायित्व वाली सहकारिता" से अभिप्रेत है ऐसी सहकारिता जिसमें उसके सदस्यों का दायित्व, सहकारिता के ऋणों हेतु इसके संगम अनुच्छेद द्वारा उस रूप में तथा ऐसी सीमा तक सीमित है जैसा कि उसका समापन हो जाने की दशा में, सहकारिता की आस्तियों में किसी घाटे के लिए अभिदाय्य करने हेतु वे वचन देते हैं। सदस्यों का दायित्व

- (2) जहां कोई सहकारिता उसके सदस्यों में दायित्व के प्रकार और उसकी सीमा में परिवर्तन करने के लिए उसके संगम अनुच्छेद में संशोधन करती है वहां वह ऐसे संशोधन की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर संशोधन की एक प्रति के साथ उसकी सूचना अपने सदस्यों, लेनदारों और संगम अनुच्छेद एवं संविदा के उपबंधों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी उन सदस्यों से भिन्न ऐसे सदस्य को देगी जिसने दायित्वों के प्रस्तावित परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है एवम् किसी लेनदार को उसे सूचना की तिथि से 15 दिन की कालावधि के दौरान, सहकारिता के प्रति अपने दायित्वों के उन्मोचन के अधीन रहते हुए अपने हितों को सहकारिता से वापस लेने का विकल्प होगा।

- (3) ऐसे किसी भी सदस्य या लेनदार के बारे में जो इस धारा की उपधारा(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, यह समझा जाएगा कि उसने दायित्वों के परिवर्तन की अनुमति दे दी है।
- (4) इस धारा की उपधारा (2) के अधीन पारित कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि—
- (क) सहकारिता के उन सदस्यों तथा लेनदारों के, जिन्होंने इस धारा की उपधारा (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, समस्त दावे संपूर्ण रूप से पूरे न कर दिए गए हों या अन्यथा उनका समाधान न कर दिया गया हो;
- (ख) इस अधिनियम के अधीन सहकारिता के संगम अनुच्छेद में संशोधन की सूचना रजिस्ट्रार को प्राप्त न हो गई हो।
- (5) जहां किसी सहकारिता के विघटित किए जाने का आदेश दिया जाए, वहां किसी मृतपूर्व सदस्य का, जो कि विघटन की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्षों के अन्दर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती 2 वर्ष के अन्दर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक कि सम्पूर्ण समापन की उक्त कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाएं परन्तु ऐसा दायित्व सहकारिता के उन ऋणों तक ही सीमित रहेगा जो कि उस तिथि को हो, जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो।
- (6) इस धारा की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सदस्य अथवा मृतक सदस्य की सम्पदा का सहकारिता के विद्यमान ऋणों के लिए दायित्व जो कि—
- (क) किसी मृतपूर्व सदस्य के मामले में उस तिथि को जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और
- (ख) किसी मृत सदस्य के मामले में उसकी मृत्यु की तिथि को हो; ऐसी तिथि से 2 वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा।

साधारण निकाय

26. (1) प्रत्येक सहकारिता का एक साधारण निकाय होगा जिसमें इस सहकारिता के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे।
- (2) इस अधिनियम तथा संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी सहकारिता की अंतिम शक्ति उसके सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगी :
परन्तु शर्त यह होगी कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात सहकारिता के बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के माध्यम से ऐसे बोर्ड अथवा सहकारिता को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।
- (3) निगमित निकाय के रूप में किसी सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले किसी कृत्य या उत्तरदायित्व के संबंध में, जो इस अधिनियम या संगम अनुच्छेद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से किसी सहकारिता के किसी प्राधिकारी को विशेष रूप से न्यस्त नहीं की गई है, कर्मचारी बोर्ड के निर्देश पर साधारण निकाय द्वारा की जाएंगी।

साधारण निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व

27. (1) साधारण निकाय द्वारा अपने वार्षिक साधारण निकाय सभा में ऐसे अन्य विषयों के साथ, जो बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाए, निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाएगा :-
- (क) पिछले सभा के संकल्पों पर कार्यवाही;
- (ख) दीर्घकालीन योजनाओं व बजट पर विचार, जब अपेक्षित हो;
- (ग) वार्षिक कार्यकारी योजना और चालू वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार ;
- (घ) चालू वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति;
- (ङ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार ;
- (च) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार;
- (छ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित अनुमोदित बजट से विचलन, यदि कोई हो, और की जाने वाली समुचित कार्यवाही;

- (ज) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आधिक्य का निपटारा, यदि कोई हो;
- (झ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के घाटे का प्रबंधन, यदि कोई हो;
- (ञ) विशिष्ट आरक्षित एवं अन्य निधियों का सृजन;
- (ट) आरक्षित एवं अन्य निधियों के वास्तविक उपयोग की समीक्षा;
- (ठ) समाओं में उपस्थिति पर निदेशकों द्वारा दी गई रिपोर्ट की समीक्षा;
- (ड) सहकारिता सेवाओं के उपयोग की निदेशकों द्वारा समीक्षा;
- (ढ) किसी निदेशक या किसी समिति के किसी सदस्य या आंतरिक लेखापरीक्षक को उस हैसियत में उसके कर्तव्यों के संबंध में या संबंधित सभा में उसकी उपस्थिति के लिए दिए गए पारिश्रमिक की समीक्षा;
- (ण) गैर सदस्यों के मुकाबले में सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं की मात्रा और प्रतिशत की समीक्षा;
- (त) ऐसा आवेदक जिसका सदस्यता आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, की अपील;
- (थ) बोर्ड द्वारा सदस्यता से निकाले गए किसी व्यक्ति की अपील;
- (द) सदस्य शिक्षा तथा बोर्ड और कर्मचारीबृन्द के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकलापों एवं लेखाओं की रिपोर्ट।
- (2) बोर्ड द्वारा जब निम्नलिखित और अन्य मामले आवश्यक समझे जाएंगे तो साधारण निकाय को वार्षिक सभा या अन्य सभाओं में उन पर कार्यवाही की जाएगी :-
- (क) निदेशकों का चुनाव;
- (ख) संगम अनुच्छेद में संशोधन;
- (ग) निदेशकों को हटाया जाना;
- (घ) बोर्ड की असाधारण रिक्तियों पर चुनाव/नियुक्ति;
- (ङ) लेखा परीक्षकों का हटाया जाना और परिणामी नियुक्ति;
- (च) सहायक सहकारिताओं में सहकारिता की सदस्यता;
- (छ) अन्य सहकारिताओं के साथ भागीदारी;
- (ज) आस्तियों एवं दायित्वों का सामामेलन, विभाजन, संविलयन और अंतरण;
- (झ) सहकारिता का विघटन;
- (ञ) रजिस्ट्रार की जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार।
- 28.(1) बोर्ड किसी भी समय सहकारिता के सदस्यों की साधारण सभा बुला सकेगा :
परन्तु वार्षिक साधारण सभा के रूप में ज्ञात एक ऐसी सभा, उसमें विनिर्दिष्ट मामलों पर कार्यवाही हेतु सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक सौ पचास दिन के अन्दर बुलायी जायेगी।
- (2) बोर्ड निम्नलिखित से अध्यक्षता प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर एक विशेष साधारण सभा बुलाएगा:-
- (क) मत देने का अधिकार रखने वाले कुल सदस्यों के 1/5 सदस्यों, अथवा 500 सदस्य, जो भी कम हो, अथवा
- (ख) रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में :
परन्तु ऐसी अपेक्षा में वे कारण निहित होंगे जिनके लिए सभा आवश्यक समझी गयी है तथा प्रस्तावित कार्यसूची में शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर विशेष साधारण सभा में विचार नहीं किया जाएगा।
- (3) ऐसी कालावधि की समाप्ति पर जिसके दौरान इस धारा की उपधारा(1) के अधीन वार्षिक साधारण सभा अथवा इस धारा की उपधारा(2) के अधीन विशेष साधारण सभा होनी आवश्यक हैं और यदि बोर्ड विनिर्दिष्ट कालावधि में ऐसी सभा बुलाने में असफल रहता है तो समस्त निदेशक अपने पद पर नहीं रहेंगे।
- (4) समस्त निदेशक वार्षिक साधारण सभा की तिथि को निदेशक के रूप में पद पर नहीं रहेंगे यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और लेखा

परीक्षा की टिप्पणियां, यदि कोई हों, पूर्ववर्ती वर्ष के कार्य कलाप की रिपोर्ट के साथ सदस्यों को उस सभा में उपस्थित होने की सूचना के साथ उपलब्ध नहीं करा दी जाती जिसमें कि लेखा रिपोर्ट पर साधारण निकाय द्वारा विचार किया जाना हो और ऐसी साधारण सभा माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा, बोर्ड अथवा माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों को छोड़कर, नियुक्त अध्यक्ष द्वारा संचालित की जायेगी।

(5) साधारण सभा के लिए गणपूर्ति संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किये गए प्रावधानों के अनुसार होगी परन्तु सभा में मतदान के लिए पात्र सदस्यों के पांचवे हिस्से से कम नहीं होगी।

साधारण सभा का कार्यवृत्त

29.(1) प्रत्येक सहकारिता संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में, कार्यवृत्त पुस्तिका में, प्रत्येक साधारण सभा की कार्यवाही का कार्यवृत्त तैयार करेगी और मुख्य कार्यपालक ऐसे प्रत्येक सभा की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेजेगा।

(2) इस प्रकार से रिकार्ड किया गया कार्यवृत्त उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और अपेक्षित समय में अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने की असमर्थता की स्थिति में, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

अध्याय-4

प्रबन्धन

निदेशक बोर्ड

30. संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार गठित और सहकारिता के कार्यों के निदेशन से न्यस्त प्रत्येक सहकारिता के लिए एक चुना गया निदेशक बोर्ड होगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत सहकारिता के मामले में, सहकारिता के पंजीकरण के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति सहकारिता के कार्यकलापों को निर्देशित करने तथा इसमें संदर्भित कालावधि में निदेशकों का चुनाव कराने के लिए पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए प्रवर्तक बोर्ड नियुक्त कर सकेंगे तथा इस परन्तुक के अधीन नियुक्त प्रवर्तक बोर्ड, संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही कार्यकाल समाप्त कर देगा :

परन्तु यह और कि मूलरूप से सहकारी समिति अधिनियम के अधीन तथा उसके बाद में इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत की गई किसी सहकारी समिति तथा उसके बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के मामले में, जिनकी इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के समय अवधि समाप्त नहीं हुई थी, पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अनाधिक कालावधि के लिए सहकारिता के कार्यों के निर्देशन एवं निदेशकों का चुनाव इसमें संदर्भित कालावधि के अन्दर कराने हेतु, उसे प्रवर्तक बोर्ड माना जाएगा और परन्तुक के अधीन यदि नामित बोर्ड संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन होते ही काम करना बन्द कर देगा।

बोर्ड के कृत्य एवं उत्तरदायित्व

31.(1) बोर्ड संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा :

परन्तु बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य एवं दायित्व होंगे :-

(क) संगठनात्मक उद्देश्यों की व्याख्या करना, ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्रकायों का नियतकालिक मूल्यांकन करना;

(ख) पदाधिकारियों का चुनाव करना एवं उन्हें पद से हटाना;

(ग) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करना एवं पद से हटाना;

(घ) सहकारिता के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनमान, भत्ते और अनुशासनिक कार्यवाही सहित अन्य सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाना;

(ङ) दीर्घकालीन स्वरूप की योजना, वार्षिक योजना और बजट को अंतिम रूप देना तथा साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित योजना और बजट के अनुसार सहकारिता के कार्य कलापों को निर्देशित करना;

- (च) निधियों की व्यवस्था करना;
- (छ) अचल संपत्ति के अर्जन तथा व्ययन के लिए प्राधिकृत करना; और
- (ज) सेवाओं, निधियों, लेखाओं तथा लेखादेयता और सूचना तथा वृत्तलेखन प्रकृति से संबंधित विनियमों की विरचना करना, अनुमोदित करना तथा संशोधित करना।
- (2) सहकारिता का प्रत्येक निदेशक कार्यों को करते हुए, दायित्वों का निर्वहन करते हुए और शक्तियों का प्रयोग करते हुए—
- (क) ईमानदारी से, सद्विश्वास के साथ और सहकारिता के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा; और
- (ख) ऐसी अपेक्षित सावधानी, कर्मठता एवं कुशलता का व्यवहार करेगा जैसी कि ऐसी ही परिस्थितियों में कोई पर्याप्त दूरदर्शी व्यक्ति करता।
- (3) ऐसा कोई निदेशक जिसे ऐसे दुर्विनियोग, विश्वास भंग करने अथवा किसी अन्य चूक या कृत्य का दोषी पाया गया हो, जिसके फलस्वरूप सहकारिता को राजस्व की हानि हुई हो या उसमें कमी आई हो, ऐसी किसी अपराधिक कार्यवाही पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले जो कानून के अधीन उस पर की जानी हो, राजस्व की उस हानि अथवा कमी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
32. ऐसी अन्य शर्तों के अतिरिक्त जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारिता का कोई सदस्य सहकारिता के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र होगा यदि—
- (1) ऐसे सदस्य को सहकारिता के कार्यकलापों में मत देने का अधिकार है; और
- (2) ऐसे सदस्य ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा रीति में सहकारिता की सेवा को प्रोत्साहन दिया है; और
- (3) ऐसे सदस्य का सहकारिता के साथ कोई गई किसी अस्तित्वशील संविदा में या उसके लिए किए जा रहे किसी कार्य में, संगम अनुच्छेद में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय कोई हित नहीं है; और
- (4) उस तिथि से जिससे ऐसा सदस्य निम्नलिखित कारणों से निदेशक नहीं रह गया हो, तीन वर्ष की कालावधि बीत गई हो—
- (क) साधारण सभा का आयोजन न करना;
- (ख) बोर्ड का चुनाव न करना;
- (ग) साधारण निकाय को कार्य कलापों की रिपोर्ट, लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और / अथवा लेखापरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत न की गई हो; अथवा
- (घ) बोर्ड की सभा से अनुपस्थिति।
33. (1) बोर्ड के निदेशकों का चुनाव कराना सहकारिता के बोर्ड का दायित्व होगा।
- (2) चुनाव, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से कराए जाएंगे, चुनाव पद छोड़ने वाले निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कराए जाएंगे।
- (3) बोर्ड के सभी निदेशक ऐसे समय से निदेशक के पद पर नहीं रह जाएंगे जब से संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित चुनाव कराने के लिए कोई कार्य शुरू नहीं किया गया हो या पूरा नहीं किया गया हो और बोर्ड ने संगम अनुच्छेद द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया जारी रखने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम न उठाए हों।
- (4) सामान्यतया निदेशकों का चुनाव वार्षिक साधारण सभा के दौरान होगा।
- (5) जहां बोर्ड निदेशकों की पदावधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने में असफल रहता है या जहां चुनाव प्रक्रिया के किसी चरण में चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है और बोर्ड ने उपचारात्मक उपाय शुरू नहीं किए हैं या जहां बोर्ड में कोई निदेशक नहीं बचे हैं, वहां माध्यस्थम् अधिकरण संगम अनुच्छेद में यथानिर्धारित सीमा में एवं रीति से उन सदस्यों में से जो माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य नहीं हैं या निवर्तमान होने वाले बोर्ड के सदस्य नहीं हैं और

सहकारिता में
निदेशकों के लिए
पात्रता

चुनाव

जो शुरू किए गए चुनाव में प्रत्याशी होने का इरादा नहीं रखते, चुनाव कराने के विशिष्ट उद्देश्य हेतु तथा संगम अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रकार्यों के अलावा अन्तराशासन के दौरान बोर्ड के समस्त प्रकार्यों को सम्पन्न कराने के लिए तीन सदस्यों का एक बोर्ड नियुक्त करायेंगे।

- (6) इस प्रकार गठित किए गए ऐसे तदर्थ बोर्ड की पदावधि तीन मास से अधिक नहीं होगी और जैसे ही संगम अनुच्छेद के अनुसार नियमित बोर्ड का गठन हो जाता है, तदर्थ बोर्ड कार्य करना समाप्त कर देगा।
- (7) निदेशक ऐसी पदावधि के लिए पदधारण करेंगे जिसके लिए वे चुने गए थे और नवनिर्वाचित निदेशक उक्त कालावधि समाप्त होने की तिथि को पदग्रहण करेंगे।
- (8) यदि संगम अनुच्छेद में ऐसा विनिर्दिष्ट है तो निदेशक पुनर्निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (9) जहां बोर्ड में निदेशकों के पद रिक्त हैं और जहां गणपूर्ति है शेष निदेशक बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे या संबंधित अवशेष पदावधि के लिए सहयोजन द्वारा रिक्त पदों को भर सकेंगे।
- (10) जहां बोर्ड पद रिक्त हैं और जहां बोर्ड की समा के लिए गणपूर्ति हेतु निदेशकों की पर्याप्त संख्या नहीं है, माध्यस्थम् अधिकरण रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशकों का चुनाव करने हेतु साधारण सभा बुला सकेगा।

निदेशकों की
पदावधि

34. जहां संगम अनुच्छेद में सभी निदेशकों की एक साथ सेवानिवृत्ति का प्रावधान है और जहां सभी निदेशकों की चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति का प्रावधान है वहां निदेशकों की वैयक्तिक पदावधि ऐसी कालावधि के लिए होगी जैसा कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किया गया है, जो संगम अनुच्छेद में यथाविनिर्दिष्ट पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगा।

बोर्ड की समा

35. (1) किसी सहकारिता का अध्यक्ष निदेशक बोर्ड की समा किसी भी समय बुला सकेगा : परन्तु एक सहकारिता वर्ष में कम से कम बोर्ड की चार समार्यें आयोजित होंगी और किन्हीं दो कमवर्ती सभाओं के बीच की कालावधि एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी।
- (2) निम्नलिखित द्वारा अधियाचन किए जाने पर अध्यक्ष अधियाचन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित करेगा; या
(क) बोर्ड के कम से कम एक तिहाई निदेशकों से; या
(ख) लेखापरीक्षक से :
परन्तु ऐसे किसी भी अधियाचन में वे कारण निहित होंगे जिनसे सभा आवश्यक समझी गयी हो और प्रस्तावित कार्यसूची तथा उसमें शामिल विषयों के अलावा किसी अन्य विषय पर बोर्ड की विशेष सभा में विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।
- (3) यदि अध्यक्ष उस कालावधि के समाप्त होने तक जिसके अन्दर संगम अनुच्छेद, अथवा इस धारा की उपधारा(1) अथवा (2) के अधीन बोर्ड की समा आयोजित होनी हो, बोर्ड की ऐसी समा आयोजित विनिर्दिष्ट कालावधि में कराने में असमर्थ रहता है तो वह उस कालावधि के समाप्त होने की तिथि पर अध्यक्ष नहीं रहेगा।
- (4) कोई व्यक्ति जो इस धारा की उपधारा(3) के अधीन अध्यक्ष नहीं रह जाता है, अध्यक्ष नहीं रह जाने की ऐसी तिथि से छः वर्ष की कालावधि के लिए अध्यक्ष का पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।
- (5) बोर्ड की समा के लिए गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट होगी परन्तु बोर्ड के निदेशकों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।
- (6) बोर्ड की समा आहूत करने तथा संचालित करने की प्रक्रिया वही होगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाए।
- (7) यदि कोई निदेशक जानबूझकर बोर्ड के लगातार तीन सभाओं में उपस्थित नहीं होता है तो वह तृतीय समा की तिथि से निदेशक नहीं रहेगा।

36. (1) प्रत्येक सहकारिता, अपनी कार्यवृत्त पुस्तिका में, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट भाषा में बोर्ड की प्रत्येक सभा का कार्यवृत्त रखेगी और प्रमुख कार्य पालक ऐसी प्रत्येक सभा की समाप्ति के सात दिन के अन्दर कार्यवृत्त की प्रति सभी निदेशकों को भेजेगा।
- (2) इस प्रकार से अभिलिखित कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति या उस अगामी सभा की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करेगा जिसमें कि कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

बोर्ड की सभा का कार्यवृत्त

अध्याय-5

वित्त

37. (1) कोई सहकारिता, अपने सदस्यों से उस रूप में, उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट की जाएं, साम्यपूजी, निक्षेप, अनुदान और उधार सहित निधियां जुटा सकेगी।
- (2) कोई सहकारिता आपसी सहमति की शर्तों पर उस सीमा तक तथा संगम अनुच्छेद में वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए, व्यक्तियों, बैंको, अन्य वित्तीय एवं गैर वित्तीय संस्थाओं तथा सरकार सहित गैर सदस्यों से निधियों और गारंटी सहित अंश पूजी को छोड़कर, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता ले सकेगी।
38. (1) किसी सहकारिता द्वारा जुटाई गई निधियां उसके उद्देश्यों को अग्रसार करने के लिए होंगी।
- (2) कोई सहकारिता अपनी ऐसी निधियों को जिनकी उसके कारोबार के लिए आवश्यकता न हो, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट किसी भी तरीके से अपने कारोबार से बाहर निवेश कर सकेगी या जमा कर सकेगी।
39. (1) किसी सहकारिता के किसी वित्तीय वर्ष में कारोबार से उद्भूत होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो, निम्नलिखित एक या अधिक रीति के उपयोग में लाया जा सकेगा :-
- (क) घाटा सुरक्षित निधि के लिए;
- (ख) उसके सदस्यों में अधिशेष वापसी के रूप में वितरित करने के लिए ;
- (ग) उसके कारोबार का विकास करने के लिए ;
- (घ) संगम अनुच्छेद के अनुसार गठित की गई आरक्षित राशि और निधियों के लिए ;
- (ङ) अपने सदस्यों को सामान्य सेवा प्रदान करने के लिए ;
- (च) कर्मचारीवृन्द को पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन देने के लिए ;
- (छ) एक अविभाज्य समूह निधि के लिए ;
- परन्तु गैर सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं से उद्भूत अधिशेष को, सदस्यों या कर्मचारीवृन्द में वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि समुदाय के लिए सामान्य सेवाओं का प्रावधान करने तथा सम्भावित सदस्यों को सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकेगा।
- (2) अधिशेष का ऐसे वार्षिक साधारण सभा में पूर्णतया आवंटन किया जाएगा जिसमें अधिशेष प्रोद्भूत हुए हों, लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण साधारण निकाय के विचारण के लिए प्रस्तुत किए जाएं।
40. (1) किसी वित्तीय वर्ष में किसी सहकारिता के कारोबार से प्रोद्भूत घाटा, यदि कोई हो, घाटा सुरक्षित निधि, यदि कोई हो, या उसके सदस्यों में घाटा प्रभार के रूप में घाटे के एक भाग या संपूर्ण भाग का विकलन करके पूर्णतया समाधान किया जाएगा :
- परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी भी सहकारिता को, जहां ऐसा घाटा अनुमोदित योजना या बजट से विभाजन का परिणाम है और जहां ऐसे विकलन को साधारण निकाय का अनुमोदन प्राप्त नहीं है या जो कुप्रबन्ध और घोर उपेक्षा का परिणाम है, घाटे में अभिदाय करने के लिए रकम की वसूली हेतु उसके निदेशकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने से नहीं रुकेगी।

निधियों का जुटाया जाना

निधियों का अभिनियोजन

अधिशेष का निपटारा

घाटे का प्रबन्धन

- परन्तु यह और कि जहाँ ऐसी रकमें वसूल की जाती है; वहाँ साधारण निकाय रकम का एक या संपूर्ण भाग घाटा सुरक्षित निधि में या प्रत्येक सदस्य के खाते में उस पर लगाए गए घाटा प्रभार के अनुपात में जमा करने का संकल्प ले सकेगी।
- (2) किसी भी सदस्य में सहकारिता की सदस्यता वापस लेने की अनुमति, उसके अंश का घाटे में सम्राशोधन किए बिना नहीं दी जाएगी।
- विशेष निधियों की संक्रिया 41. (1) कोई भी सहकारिता अपने सदस्यों के हित में और अपने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आरक्षित और ऐसी अन्य निधियों का सृजन कर सकेगी जैसी कि संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है या साधारण निकाय द्वारा संकल्पित है।
- (2) इस प्रकार से सृजित निधि का उपयोग सहकारिता के कारोबार में किया जाएगा, परन्तु प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्येक निधि के उस भाग पर जो कि उन उद्देश्यों पर नहीं लगाया गया जिनके लिए सृजित किया गया था, तो सहकारिता ऐसी निधि की शेष रकम पर अनुसूचित बैंको तथा दीर्घकालिक सावधि निक्षेप की ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज ऐसी निधि के खाते में उसे कार्य व्यय के रूप में विकलित करते हुए जमा करेगी।
- प्रथम प्रभार 42. तत्समय प्रवृत्त कानून में किसी अन्य बात के होते हुए भी, लेकिन भू-राजस्व के बारे में सरकार के किसी दावे के अध्येधीन रहते हुए, किसी सहकारिता को किसी सदस्य द्वारा देय कोई भी ऋण या अन्य धनराशि, सदस्य की ऐसी संपत्तियों पर प्रथम प्रभार होगी जैसा कि सहकारिता द्वारा सहमति दी गई हो और जैसा कि सदस्यता ग्रहण करते समय अथवा उसके बाद में सदस्य, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से घोषणा करें।

अध्याय-6

लेखादेयता

- लेखा, अभिलेख तथा दस्तावेज जिनका रखरखाव किया जाना है 43. (1) प्रत्येक सहकारिता अपने पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज रखेगी :-
- (क) इस अधिनियम की, उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित एक प्रति;
- (ख) संगम अनुच्छेद एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधन की एक प्रति;
- (ग) कार्यवृत्त पुस्तिका;
- (घ) सहकारिता द्वारा प्राप्त की गई तथा व्यय की गई समस्त धनराशि के लेखे और उनके संबंधित प्रयोजन;
- (ङ) सहकारिता द्वारा माल के समस्त क्रयों एवं विक्रयों का लेखा;
- (च) सहकारिता की आस्तियों एवं दायित्वों का लेखा;
- (छ) सदस्यों की सूची पिछले वित्तीय वर्ष के बारे में उनके दायित्वों की पूर्ति, चालू वित्तीय वर्ष की अवधि में उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकारों की पात्रता जो सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पैंतालीस दिन के अन्दर अद्यतन की जाएगी; और
- (ज) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख तथा दस्तावेज जैसे कि इस अधिनियम या अन्य विधियों तथा विनियमों द्वारा अपेक्षित किए जाएं :
- परन्तु जहाँ किसी सहकारिता का शाखा कार्यालय हो वहाँ ऐसी शाखा में संबंधित लेखे का संक्षिप्त विवरण, वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए उरा तिमाही की समाप्ति से पन्द्रह दिन के अन्दर पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।
- (2) बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सहकारिता अपनी लेखा तथा अभिलेख पुस्तिकाएँ किसी भी निदेशक द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखेगी।
- (3) प्रत्येक सहकारिता, इस अधिनियम, संगम अनुच्छेद, साधारण निकाय सभा का कार्यवृत्त पुस्तिका, मतदाता सूची तथा सदस्यों से संबंधित लेखे एवं अभिलेख, अपने कार्यालय समय के दौरान, इसके लिए अनुरोध करने वाले किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराएगी।

(4) प्रत्येक सहकारिता चालू वित्तीय वर्ष के पूर्व के कम से कम आठ वर्षों की कालावधि से संबंधित पुस्तिकाएँ तथा लेखे, उनके समर्थित अभिलेख, वाउचरों सहित सुरक्षित रखेगी।

44. (1) कोई सहकारिता अपने लेखाओं को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में अभिप्रेत किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से लेखा परीक्षित कराएगी :

लेखा परीक्षा

परन्तु जहाँ किसी सहकारिता का व्यापार दस लाख रुपए से कम है, सहकारिता अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट योग्यता वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी। (व्याख्या—इस धारा के प्रयोजन हेतु व्यवसाय का आशय बिक्री की कीमत, प्रदत्त सेवाओं और/अथवा वसूल किए गए ऋण से होगा)

(2) कोई सहकारिता अपनी वार्षिक साधारण सभा में लेखा परीक्षक को नियुक्त करेगी। यह नियुक्ति केवल आगामी वार्षिक साधारण सभा तक के लिए ही विधिमान्य होगी।

(3) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक साधारण निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा, ऐसा न होने की दशा में इसका निर्धारण माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(4) कोई भी लेखा परीक्षक—

(क) उसके त्यागपत्र देने पर ;

(ख) इस धारा की उपधारा (6) के अधीन अपने पद से हटाए जाने पर; या

(ग) उसकी पदावधि के पूर्ण होने पर ;

अपने पद पर नहीं रहेगा।

(5) किसी लेखापरीक्षक का त्यागपत्र, सहकारिता द्वारा लिखित त्यागपत्र प्राप्त किए जाने वाली या त्यागपत्र में विनिर्दिष्ट की गई या इनमें जो तिथि बाद में हो, को प्रभावी होगा।

(6) साधारण निकाय विशेष संकल्प द्वारा किसी लेखापरीक्षक को उसके पद से हटा सकता है।

(7) कोई लेखा परीक्षक जो—

(क) त्याग पत्र दे देता है, या

(ख) कोई नोटिस प्राप्त करता है या उसे पद से हटाए जाने के प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा की जानकारी अन्यथा प्राप्त करता है;

यथास्थिति अपने त्याग पत्र/मृत्यु के कारण देते हुए या प्रस्तावित हटाए जाने की कार्यवाही पर टिप्पणी करते हुए लिखित कथन बोर्ड को प्रस्तुत करने का हकदार है।

(8) किसी लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण हुई रिक्ति माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा भरी जाएगी।

(9) किसी लेखापरीक्षक को पद से हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति सामान्य निकाय द्वारा भरी जाएगी।

(10) किसी रिक्ति को मरने के लिए नियुक्त किया गया कोई लेखापरीक्षक अपने पूर्ववर्ती के अवशेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(11) लेखापरीक्षक को प्रत्येक साधारण सभा की सूचना दी जाएगी और उसे सहकारिता के खर्च पर सभा में उपस्थित होने और लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित मामलों और उनका लेखापरीक्षक के रूप में सुनवाई का हक होगा।

(12) यह सुनिश्चित करना बोर्ड का कर्तव्य होगा कि लेखाओं का वार्षिक/वित्तीय विवरण तैयार किया जाए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पैंतालिस दिन के अन्दर लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

(13) किसी सहकारिता के लेखापरीक्षक की युक्तियुक्त मांग पर मुख्य कार्यपालक—

(क) सहकारिता के अभिलेखों, दस्तावेजों, पुस्तिकाओं, लेखाओं और वाउचरों, को इस प्रकार उपलब्ध कराएंगे, तथा

(ख) ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे—

जो लेखापरीक्षक की राय में उसे परीक्षण करने और रिपोर्ट करने हेतु उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और जो वर्तमान या भूतपूर्व निदेशक, सदस्य, प्रबन्धक या कर्मचारी युक्तियुक्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए सशक्त हो।

- (14) लेखापरीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और उसके साथ उसकी रिपोर्ट, बोर्ड द्वारा उसके लेखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के साठ दिनों के अन्दर सहकारिता को प्रस्तुत कर दी जाए।
- (15) सहकारिता के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में:-
- (क) यह कथन होगा कि क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं;
- (ख) यह कथन होगा कि क्या सहकारिता के तुलना पत्र और रिपोर्ट में अंकित आय तथा व्यय, लेखाबही के अनुरूप है ;
- (ग) वह आधार दर्शाया जाएगा जिस पर प्रत्येक आरित तथा दायित्व का मूल्यांकन किया गया था और उसमें उस रीति की तब्दीली का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख होगा जिसमें ऐसा मूल्यांकन परीक्षाधीन वर्ष में किया गया था और अधिशेष या घाटे पर उसके प्रभाव का भी उल्लेख होगा ;
- (घ) सदस्यों को प्रदान की गई सेवाओं के कारण या कारोबार के सामान्य उपक्रम में उपार्जित अधिशेष या घाटे से सुभिन्न गैर सदस्यों को उपलब्ध सेवाओं से उपार्जित अधिशेष या घाटे की राशि दर्शायी जाएगी ;
- (ङ) अनुमोदित बजट में अनुमानित व्यय तथा आय से वास्तविक व्यय और आय में हुआ प्रत्येक विचलन दर्शाया जाएगा ;
- (च) यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि लेखापरीक्षाओं के अधीन वर्ष में मुख्य कार्यपालक, पदाधिकारियों में से किसी को या निदेशकों को कुल कितना पारिश्रमिक और/अथवा मानदेय और/अथवा भत्ते और/या लाभ, यदि कोई हो, प्रदान किया गया;
- (छ) यह कथन होगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन कोई भी पदाधिकारी या निदेशक, समीक्षा के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, पदाधिकारी अथवा निदेशक के रूप में पद पर बने रहने के लिए अपात्र हो गए थे अथवा नहीं; और
- (ज) यह कथन होगा कि साधारण निकाय द्वारा उसके पूर्व वार्षिक सभा में अधिशेष के निराकरण पर विनिश्चय या घाटे के निर्धारण का ठीक तरह से तथा पूर्णतया कार्यान्वयन हुआ है या नहीं।

रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

45. (1) प्रत्येक वर्ष, वार्षिक साधारण सभा आयोजित किए जाने के 30 दिन के अन्दर प्रत्येक सहकारिता, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां प्रस्तुत करेगी:
- (क) कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट;
- (ख) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण;
- (ग) सांख्यिकीय विवरण जिसमें सहकारिता का नाम, सहकारिता द्वारा अपने सदस्यों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को सदस्यों की कुल संख्या, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभिव्यक्त कुल दायित्व जैसे-
- (i) सदस्यों से निधियां और अधिशेष
- (ii) सरकार से प्राप्त निधियां, यदि कोई हो; और
- (iii) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अन्य बाहरी स्रोतों से प्राप्त निधियां;
- उपलब्ध कराई गई सेवाओं की रूपयों में मात्रा (1) सदस्यों को; (11) गैर सदस्यों को और वर्ष के अन्त में अधिशेष/घाटा दर्शाया जाएगा।
- (2) प्रत्येक सहकारिता उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणियों के साथ निम्नलिखित सूचना रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :-

- (क) वार्षिक साधारण सभा की वह तिथि जिसको रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों पर विचार किया गया था या उसे अनुमोदित किया गया था;
- (ख) सहकारिता की नामावली पर सदस्यों की कुल संख्या, जो कि ऐसी वार्षिक साधारण सभा की तिथि को मत देने के लिए पात्र थे;
- (ग) ऐसे वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित पात्र सदस्यों की संख्या;
- (घ) निदेशकों के नाम की सूची, उनके पते तथा उनका कार्यकाल;
- (ङ) चालू वर्ष के परीक्षा हेतु नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक का नाम एवं पता।
- (3) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा(1) (ग) के अधीन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विवरणों से संकलित, राज्य में कुल सहकारिताओं की संख्या, उनकी सदस्यता, निधि, सेवाओं और अधिशेष/घाटे के संदर्भ में राज्य की सहकारिताओं से संबंधित सांख्यिकीय सूचना से युक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रति वर्ष 30 जून तक सरकार को प्रस्तुत करेगा; रिपोर्ट में सहकारिता विभाग में, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित कुल कर्मचारियों की संख्या, विभाग के स्थापना व्यय, विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किए गए शुल्क से संबंधित सूचना और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त की गई संवैधानिक शक्तियाँ (स्टेच्यूटरी पावर) का सांख्यिकीय सारांश भी शामिल होगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, या किसी विवरणी की प्रति या सहकारिताओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रेषित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा और ऐसी सूचना रजिस्ट्रार द्वारा उचित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- 46.(1) रजिस्ट्रार सर्वप्रथम संबंधित सहकारिता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसी किसी सहायक सहकारिता के जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, या किसी लेनदार के, जिसकी कि सहकारिता ऋणी है या निदेशकों के कम से कम एक तिहाई निदेशकों के, या सदस्यों की संख्या के कम से कम एक दशमांश सदस्यों के आवेदन पर इस अधिनियम के या संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबन्धों के सहकारिता द्वारा उल्लंघन के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट विषय या किन्हीं विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा।
- (2) रजिस्ट्रार, आवेदक या आवेदकों से ऐसी फीस जैसी कि जांच कराने के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए, प्राप्त होने के बाद ही किसी जांच के आदेश करेगा।
- (3) ऐसी जांच, जांच का आदेश होने की तिथि से एक सौ बीस दिनों के अन्दर पूरी की जाएगी। परन्तु आगे यह और कि जांच अधिकारी के अनुरोध पर रजिस्ट्रार जांच की इस कार्यवाही को और साठ दिनों के लिए बढ़ा सकेगा।
- (4) रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट, जांच पूरी होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के अन्दर जांच की रिपोर्ट अथवा जांच पूरी न होने की स्थिति में उसके कारणों को—
- (क) संबंधित सहकारिता को;
- (ख) आवेदक सहायक सहकारिता को, यदि कोई हो;
- (ग) आवेदक लेनदार को;
- (घ) ऐसे व्यक्ति को जो निदेशक—आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;
- (ङ) ऐसे व्यक्ति को जो सदस्य आवेदकों द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि कोई हो;
- (च) किसी व्यक्ति को ऐसे शुल्क का भुगतान करने पर जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; संसूचित करेगा।

जांच

अध्याय-7

अपराध

अपराध

- 47.(1) कोई व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम में रजिस्ट्रार को भेजी जाने के लिए अपेक्षित कोई ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, सूचनायें अन्य दस्तावेज बनाता है या बनाने में सहयोग करता है जिसमें किसी तात्विक तथ्य के लिए मिथ्या कथन निहित है या जिसके ऐसे तात्विक तथ्य का लोप किया गया है जिसकी रिपोर्ट में आवश्यकता है या ऐसे तात्विक तथ्य का लोप करता है जिसके बगैर रिपोर्ट का कथन, सार्थक हो जाए, उसे दो वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
- (2) जहां पर इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अपराधकर्ता कोई सहकारिता हैं और सहकारिता के ऊपर अभियोग चलाया गया है अथवा दोषसिद्धि हुई है या नहीं, सहकारिता का कोई भी निदेशक या अधिकारी जो जानबूझकर ऐसे अपराध को प्राधिकृत करता है, अनुमति देता है या मौन सहमति देता है, भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और संक्षिप्त दोषसिद्धि पर नब्बे दिनों तक के कारावास अथवा एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों साथ हो सकेगी।
- (3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो—
 (क) बिना समुचित कारणों से इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है जिसके लिए किसी दण्ड का अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है; या
 (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों में अपेक्षित कोई सूचना देने में, कोई विवरणी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है;
 अपराध का दोषी होना और संक्षिप्त दोषसिद्धि होने पर दस हजार रुपए से अनाधिक के जुर्माने से दण्डनीय होना।
- (4) किसी सहकारिता द्वारा किया गया कोई अपराध उस सहकारिता के प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जो कि सहकारिता के संगम अनुच्छेद से ऐसे कर्तव्यों को पूरा करने को आबद्ध है जिनका उल्लंघन अपराध है या यदि ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है तो उसे प्रत्येक निदेशक द्वारा किया गया अपराध माना जाएगा जब तक कि यथास्थिति पदाधिकारी या निदेशक यह सिद्ध न कर दें कि उन्होंने अपराध होने को रोकने का प्रयास किया था।
- (5) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, वहां न्यायालय, उस व्यक्ति पर अधिरोपित किए गए किसी दण्ड के अतिरिक्त, इस अधिनियम के उन उपबन्धों का, जिसके उल्लंघन के लिए वह दोषी ठहराया गया है, अनुपालन करने का उस व्यक्ति को आदेश दे सकेगा।
- (6) इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए ; उस तिथि से जबकि कार्यवाही का कारण या शिकायत का कारण उत्पन्न हुआ हो, से दो वर्ष के पश्चात् कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा।
- (7) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्य या लोप के लिए कोई सिविल उपचार इस कारण निलम्बित या प्रामाणित नहीं है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसा कार्य या लोप एक अपराध है।

अध्याय-8

विवाद

विवाद

- 48.(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि (कानून) में किसी अन्य बात के रहते हुए भी यदि किसी सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन एवं कारोबार से संबंधित कोई विवाद—
 (क) सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी गृह सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के गद्य; या

- (ख) किसी सदस्य, मृतपूर्व सदस्य या किसी सदस्य, मृतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से दावा करने वाले किसी व्यक्ति तथा सहकारिता, उसके मृतपूर्व या वर्तमान बोर्ड, निदेशक, पदाधिकारी या सभापक के बीच; या
- (ग) किसी सहकारिता और उसके बोर्ड तथा उसके किसी निवर्तमान बोर्ड, किसी निदेशक, पदाधिकारी या किसी मृतपूर्व निदेशक, मृतपूर्व पदाधिकारी या किसी सहकारिता के किसी मृत निदेशक या मृत पदाधिकारी के नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच,

उत्पन्न होता है तो उसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा।
(व्याख्या: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी विवाद के अन्तर्गत, किसी सहकारिता द्वारा किसी ऐसे ऋण या अन्य रकम के लिए, जो किसी सदस्य, मृतपूर्व सदस्य, किसी मृत व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि और/या जमानतदार द्वारा उस सहकारिता को देय कोई दावा कि ऐसे ऋण या अन्य रकम स्वीकार की जाए या नहीं, आएंगे)

- (2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया गया (मेजा गया) कोई विवाद सहकारिता के संविधान, प्रबन्धन अथवा कारोबार से संबंधित है या नहीं तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- (3) माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे विवाद को इस अधिनियम और संगम अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार विनिश्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा। विवाद पर विनिश्चय होने तक माध्यस्थम् अधिकरण ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह न्यायहित में आवश्यक समझे।
- (4) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश या प्रत्येक विनिश्चय का निष्पादन, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर, अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानों कि ऐसा आदेश उस न्यायालय की डिक्री हो।
- (5) इस धारा की उपधारा (4) अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी (विधि) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा वसूली की किसी अन्य रीति पर जो की जा रही है या जो की जा सकेगी-प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माध्यस्थम् अधिकरण सहकारिता द्वारा उसके किसी सदस्य के ऊपर बकाया की वसूली के लिए किए गए कि ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर, उसके द्वारा बकाया के बारे में लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने पर तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि ऐसा अधिकरण उचित समझे, उसमें वर्णित रकम की वसूली के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी जो कि बकाया के रूप में देय हो।
- (6) इस धारा की उपधारा(5) के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र उसमें कथित देय बकाया के बारे में अंतिम तथा निश्चयात्मक सबूत होगा और मुख्य कार्यपालक द्वारा, संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट रीति से प्रमाण-पत्र निष्पादित किया जा सकेगा।

49.(1) प्रत्येक सहकारिता के संगम अनुच्छेद में एक माध्यस्थम् अधिकरण के गठन का प्रावधान, जैसा कि धारा 2(1) में परिभाषित है, होगा।

माध्यस्थम् अधिकरण
(Arbitratory Tribunal)

(2) जिनकी पदावधि तीन वर्ष से अनधिक होगी :

परन्तु जब माध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे, जो यह लिखित रूप में दर्ज कारणों से कि निस्तारण के लिए इसे निर्देशित किसी विवाद या विवादों के किसी समुच्चय का समाधान इसके एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा किया जाएगा, का चुनाव कर सकेगी और ऐसे सदस्य या सदस्यों के विनिश्चय को माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय माना जाएगा : और

परन्तु यह और कि जब माध्यस्थम् अधिकरण में एक से अधिक सदस्य होंगे तो बहुमत द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

- (3) माध्यस्थम् अधिकरण का कोई सदस्य ऐसी योग्यताएं धारण करेगा जैसी कि—संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट हों :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति जो माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में सेवारत रहा है, अगले तीन वर्षों के लिए उस सहकारिता के बोर्ड का चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

अध्याय—9

विघटन

सदस्यों द्वारा विघटन 50.(1) कोई सहकारिता, विशेष संकल्प द्वारा अपना स्वयं का विघटन प्राधिकृत कर सकेगी;

दशर्तों कि साधारण समा की सूचना की प्रति, उपस्थित होने के आमंत्रण सहित पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार को, सहकारिता के सभी लेनदारों को, ऐसी किसी सहायक सहकारिता को जिससे कि सहकारिता संबद्ध है, और ऐसी सहकारिता/सहकारिताओं को जिसके साथ भागीदारी की कोई संविदा की गई है, भेजी जाएगी।

- (2) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन आमंत्रिता को प्रस्तावित विघटन के प्रश्न पर साधारण निकाय में उपस्थापन (प्रजेन्टेशन) का अधिकार होगा, यदि वह ऐसी इच्छा रखता हो।

- (3) सहकारिता, विघटन के लिए ऐसा प्राधिकार दिए जाने से पंद्रह दिन के अन्दर सहकारिता के विघटन के प्राधिकार की एक प्रति पंजीकृत डाक से रजिस्ट्रार को भेजेगी।

- (4) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन अनुमोदित प्राधिकार में निम्नलिखित वर्णित किए जाएंगे—

(क) सहकारिता की आस्तियां और दायित्व;

(ख) लेनदारों के दावे;

(ग) सदस्यों की संख्या;

(घ) सहकारिता के सदस्यों के हित की प्रकृति तथा उसकी सीमा;

(ङ) सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक का नाम तथा पता।

- (5) जब रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया विशेष संकल्प प्राप्त करता है तब,

(क) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नहीं हैं, वहां रजिस्ट्रार सहकारिता का विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्ट्रार से उसका नाम हटा देगा तथा ऐसी सहकारिता के विघटन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा; या

(ख) वह ऐसा संकल्प प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर सहकारिता के खर्च पर ऐसे विशेष संकल्प की सूचना प्रकाशित करवाएगा तथा उस जिले में जहां कि सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र में निरन्तर दो सप्ताह तक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित करवाएगा।

- (6) विघटन की दशा में, रजिस्ट्रार तब तक कि उसके द्वारा विघटन का प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया जाय, सहकारिता द्वारा नियुक्त किए गए समापक से या अन्य किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा जानकारी का दिया जाना अपेक्षित हो, ऐसी जानकारी, नियत कालिक विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाए जायेंगे:—

(क) विघटन की प्रगति;

(ख) कोई अवितरित अधिशेष या अवितरित आरक्षित राशि; और

(ग) ऐसी अन्य कोई सुसंगत जानकारी जिसकी रजिस्ट्रार को आवश्यकता हो।

51.(1) जहां रजिस्ट्रार को, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हो कि किसी सहकारिता ने—

रजिस्ट्रार द्वारा
विघटन

(क) अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर दर्शाई गई तिथि के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर कोई कारोबार प्रारम्भ नहीं किया है;

(ख) लगातार दो वर्षों तक कारोबार नहीं किया है;

वहां वह सहकारिता से यह जानकारी मांगते हुए पंजीकृत डाक द्वारा एक पत्र सहकारिता को भेजेगा कि क्या सहकारिता कारोबार कर रही है।

(2) जहां रजिस्ट्रार, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन पत्र भेजे जाने की तिथि से तीस दिन के अन्दर पत्र का जबाब प्राप्त नहीं करता, वहां वह उक्त 30 दिन बीत जाने पर 15 दिन के अन्दर सहकारिता को एक पत्र यह उल्लेख करते हुए भेजेगा कि—

(क) इस धारा की उपधारा(1) के अधीन एक पत्र सहकारिता को भेजा गया था;

(ख) उस पत्र का कोई उत्तर रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि इस पत्र को भेजे जाने की तिथि से तीस दिनों के अन्दर इस उपधारा के अधीन भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो सहकारिता को विघटित करने की सूचना गजट में प्रकाशित कर दी जाएगी।

(3) जहां रजिस्ट्रार—

(क) सहकारिता से यह उत्तर प्राप्त करता है कि वह कारबार नहीं कर रही है; या

(ख) इस धारा की उपधारा (2) के अनुसरण में पत्र भेजे जाने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर उस पत्र का उत्तर नहीं प्राप्त करता है;

वहां वह गजट में सूचना प्रकाशित करेगा और सहकारिता को एक सूचना भेजेगा कि सूचना की तिथि से 30 दिन का अवसान होने पर, जब तक कि प्रतिकूल हेतुक दर्शित न कर दिया जाय, सहकारिता विघटित कर दी जायेगी तथा सहकारिता के रजिस्टर से उस सहकारिता का नाम हटा दिया जायेगा।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में सूचना जारी होने की तिथि से 30 दिन बीत जाने पर रजिस्ट्रार, जब तक कि सहकारिता द्वारा पूर्व में ही प्रतिकूल कारण न दर्शाया जाए—

(क) जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां और दायित्व नहीं है, वहां उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का एक प्रमाण-पत्र जारी कर देगा; या

(ख) सहकारिता को विघटित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन परिसमापक नियुक्त कर देगा।

(5) जहां कोई सहकारिता, सहकारिता के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो सौ चालीस दिन बीत जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 45 के अधीन अपेक्षित विवरणी फाइल करने व सूचना देने में असफल रहती है, वहां रजिस्ट्रार बोर्ड से यह अपेक्षा करेगा कि वह रजिस्ट्रार को भेजे जाने वाली वार्षिक विवरणी तथा दी जाने वाली जानकारी पर विचार करने के प्रयोजन हेतु एक विशेष साधारण सभा बुलाए।

(6) जहां बोर्ड द्वारा इस अधिनियम की धारा 28(2) में विनिर्दिष्ट कालावधि के अन्दर विशेष साधारण सभा बुलाने में असफल रहता है वहां रजिस्ट्रार यह पता लगाने के लिए कि साधारण निकाय सहकारिता को जारी रखना चाहता है या नहीं, विशेष साधारण सभा बुला सकेगा।

(7) जब कि—

(क) इस धारा की उपधारा(5) या (6) के अनुसरण में बुलाई गई विशेष साधारण सभा में सदस्यों की गणपूर्ति न हो; या

(ख) साधारण निकाय इस आशय का संकल्प पारित करने में असफल रहे कि—

(i) सहकारिता को कारोबार करना है;

- (ii) बोर्ड विशेष साधारण समा की तिथि से साठ दिन के अन्दर, रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली वार्षिक विवरणियां तथा दी जाने वाली जानकारी साधारण निकाय को प्रस्तुत करेगा ; और
- (iii) सहकारिता, विशेष साधारण समा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर विवरणी रजिस्ट्रार को भेजेगी और जानकारी प्रस्तुत करेगी; अथवा
- (ग) सहकारिता विशेष साधारण समा की तिथि से नब्बे दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली विवरणी तथा जानकारी देने में असफल रहती है वहां रजिस्ट्रार—
- (i) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सहकारिता की कोई आस्तियां या दायित्व नहीं हैं, उस सहकारिता को विघटित कर देगा, उसका नाम सहकारिताओं के रजिस्टर से हटा देगा और विघटन का प्रमाण-पत्र जारी कर देगा; या
- (ii) सहकारिता के परिसमापन करने के लिए इस अधिनियम की धारा 53 के अनुसार एक परिसमापक नियुक्त करेगा।

न्यायालय द्वारा
विघटन

- 52.(1) रजिस्ट्रार अथवा कोई इच्छुक व्यक्ति, सहकारिता को 90 दिन की सूचना पर, प्रस्तावित आवेदन करने के पश्चात्, न्यायालय में सहकारिता के विघटन के आदेश हेतु आवेदन कर सकेगा, जहां पर सहकारिता :
- (क) अपना पंजीकरण घोखाघड़ी या गलती से प्राप्त करती है;
- (ख) किसी अवैध प्रयोजन हेतु बनी है;
- (ग) रजिस्ट्रार की सूचना के बाद इस अधिनियम अथवा इसके संगम अनुच्छेद के किन्हीं उपबन्धों का जानबूझकर उल्लंघन किया है; या
- (घ) अब सहकारिता के आधार पर संचालित नहीं है।
- (2) जहां कोई इच्छुक व्यक्ति इस धारा के अनुसरण में न्यायालय में आवेदन करता है तो वह रजिस्ट्रार को अपने आवेदन की सूचना देगा तथा रजिस्ट्रार न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सुनवाई का हकदार होगा।
- (3) जहां न्यायालय इस धारा के अनुसरण में प्रार्थना-पत्र प्राप्त करता है तो वह रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण में सहकारिता के विघटन अथवा समापन व विघटन का आदेश दे सकेगा।
- (4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में आदेश प्राप्त करता है, तो वह—
- (क) यदि आदेश सहकारिता के विघटन हेतु है, तो विघटन करेगा, सहकारिताओं के रजिस्टर से इसका नाम हटा देगा तथा विघटन का प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा;
- (ख) यदि आदेश सहकारिता के समापन एवं विघटन का है, तो वह किसी व्यक्ति को सहकारिता के कार्य कलापों का परिसमापन हेतु समापक नियुक्त करेगा।
- जहां कोई सहकारिता विघटित की जानी है और साधारण निकाय द्वारा कोई समापक नियुक्त नहीं किया गया है वहां रजिस्ट्रार—
- सहकारिता के कार्यों का समापन करने हेतु किसी व्यक्ति को इस निर्देश के साथ समापक के रूप में नियुक्त कर सकेगा कि—परिसमापन की कार्यवाही, समापक के रूप में उसकी नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष के अन्दर समाप्त हो जानी चाहिए।
- कोई समापक अपनी नियुक्ति पर—
- (क) अपनी नियुक्ति की सूचना समापक द्वारा ज्ञात प्रत्येक दावेदार तथा लेनदार को तत्काल देगा;
- (ख) समापक के रूप में अपनी नियुक्ति की सूचना तत्काल सहकारिता के पंजीकृत कार्यालय वाले क्षेत्र के स्थानीय समाचार पत्र में सप्ताह में एक बार दो सप्ताह तक प्रकाशित करवाएगा;

समापक (लिक्वीडेटर) 53.
की नियुक्ति

समापक के कर्तव्य 54.

- (ग) इस धारा की उपधारा (क) और (ख) में वर्णित सूचना में ऐसा प्रावधान शामिल करेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति से -
- (i) जो सहकारिता का ऋणी है, हिसाब देने तथा उस पर बाकी रकम सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर समापक को भुगतान करने की अपेक्षा की जा सके;
 - (ii) जो सहकारिता की संपत्ति पर कब्जा रखता हो, सूचना में विनिर्दिष्ट समय तथा स्थान पर उसे समापक को परिदत्त करने की अपेक्षा रखी जा सके; और
 - (iii) जो सहकारिता के विरुद्ध कोई दावा रखता हो जिससे सूचना के प्रथम प्रकाशन से 60 दिन के अन्दर, समापक को दावे की लिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा रखी जा सके;
- (घ) सहकारिता की संपत्ति को अभिरक्षा और नियंत्रण में लेना;
- (ङ) सहकारिता के धन के लिए एक न्यास खाता खोलेगा तथा उसे बनाए रखेगा;
- (च) सहकारिता के उस धन का, जो कि उसके द्वारा प्राप्त किया गया हो या उसके द्वारा भुगतान किया गया हो, लेखाजोखा रखेगा;
- (छ) सदस्यों की लेनदारों की तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की पृथक-पृथक सूचियां बनाए रखेगा जो सहकारिता के विरुद्ध दावा रखते हों;
- (ज) जहां किसी भी समय वह यह अभिनिश्चय करे कि-सहकारिता अपनी बाध्यताओं का भुगतान करने में तथा उन्हें उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यवस्था करने में असमर्थ है, वहां, यथास्थिति, रजिस्ट्रार को या साधारण निकाय को निर्देश देने के लिए आवेदन करेगा; और
- (झ) रजिस्ट्रार या साधारण निकाय को, ऐसे नियत काल पर जैसा कि रजिस्ट्रार या साधारण निकाय अपेक्षा करे, सहकारिता के वित्तीय विवरण ऐसे प्ररूप में, जैसा कि रजिस्ट्रार/साधारण निकाय अपेक्षा करे, प्रदान करेगा।

55. (1) समापक-

- (क) वकील, लेखाकार, इंजीनियर, मूल्यांकनकर्ता तथा अन्य व्यवसायिक सलाहकारों को प्रतिधारित कर सकेगा;
- (ख) सहकारिता की ओर से और उसके नाम से सिविल, अपराधिक, या प्रशासनिक कार्यवाहियां आदि को संस्थित कर सकेगा और उनकी प्रतिरक्षा कर सकेगा;
- (ग) सहकारिता का कार्य उस सीमा तक चला सकेगा जहां तक कि वह उसके सुव्यवस्थित समापन के लिए आवश्यक हो;
- (घ) सहकारिता की किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी या निजी विक्रय द्वारा बेच सकेगा;
- (ङ) सहकारिता की ओर से तथा सहकारिता के नाम से समस्त कार्य कर सकेगा तथा किन्हीं भी दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा;
- (च) सहकारिता की संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकेगा;
- (छ) सहकारिता के किन्हीं दावों या सहकारिता के विरुद्ध किन्हीं दावों का निपटारा या समझौता कर सकेगा; और
- (ज) ऐसी समस्त अन्य बातें कर सकेगा जो वह सहकारिता के समापन तथा उसकी संपत्ति के वितरण के लिए आवश्यक समझे।

- (2) जहां समापक को यह विश्वास करने का कारण हो कि सहकारिता की कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है या उसके नियंत्रणाधीन है या उसने ऐसी संपत्ति को छुपाया है, विधटित किया है या उसका दुर्विनियोग किया है तो वह न्यायालय को ऐसे आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वह व्यक्ति आदेश में निर्धारित समय तथा स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और उसका परीक्षण किया जाए।

समापक के कार्य एवं दायित्व

अन्तिम लेखा

- (3) जहां इस धारा की उपधारा (2) के अधीन परीक्षण में यह प्रकट होता है कि किसी व्यक्ति ने सहकारिता की संपत्ति छिपाई है, विघटित की है या उस संपत्ति का दुर्विनियोग किया है, तो वह न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वह व्यक्ति सहकारिता की ओर से समापक को संपत्ति प्रत्यावर्तित करे या उसके प्रतिकर का भुगतान करे।
- (4) समापक प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहकारिता के व्यापार स्टॉक का कोई भाग, ऋण या आस्तियों का क्रय नहीं करेगा।
- (5) समापक, यथास्थिति रजिस्ट्रार अथवा साधारण निकाय को समय-समय पर परिसमापन कार्यवाही की प्रगति और हिसाब-किताब प्रस्तुत करेगा।
- 56.(1) समापक सहकारिता की संपत्ति में से परिसमापन के खर्चों का भुगतान करेगा तथा सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करेगा या उसके लिए पर्याप्त उपबन्ध करेगा।
- (2) सहकारिता के विरुद्ध समस्त दावों का भुगतान करने या उनके लिए पर्याप्त उपबन्ध करने के पश्चात् समापक, उसके अंतिम लेखाओं का अनुमोदन करने हेतु तथा संगम अनुच्छेद के अनुसार सहकारिता की शेष बच रही संपत्ति का नकद में या वस्तु रूप में वितरण करने के लिए अनुज्ञा हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।
- (3) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(2) के अधीन समापक द्वारा दिए गए अंतिम लेखाओं को अनुमोदित कर देता है, वहां वह--
- (क) सहकारिता के दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखने या उसके लिपटारे के संबंध में निर्देश जारी करेगा; और
- (ख) समापक को उन्मोचित कर देगा।
- (4) जहां रजिस्ट्रार इस धारा की उपधारा(3) के अधीन किसी समापक को उन्मोचित करता है, वहां वह सहकारिता को विघटित कर देगा, विघटन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा और सहकारिता के रजिस्टर से उसका नाम हटा देगा।
- (5) सहकारिता, विघटन के प्रमाण-पत्र में दर्शित उस तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगी।

अध्याय-10

विविध

कुछ करों, कर्तव्यों एवं शुल्कों से छूट

57. सरकार सार्वजनिक हित में यदि उसकी राय से ऐसा करना आवश्यक हो तो गजट में अधिसूचना के द्वारा और ऐसी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट, ऐसे प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए सहकारिताओं के संबंध में--
- (क) व्यवसाय, व्यापार, पेशे और रोजगार पर करों;
- (ख) स्टाम्प शुल्क जिसके साथ, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी सहकारिता द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी पदाधिकारी, या निदेशक या सदस्य द्वारा ऐसी सहकारिता के कारोबार से संबंधित निष्पादित किए गए दस्तावेज अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी भी वर्ग के ऐसे कागजात या क्रमशः रजिस्ट्रार या माध्यस्थम् अधिकरण या समापक के विनिश्चय या आदेश जो प्रभार्य हैं; अथवा
- (ग) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकरण से संबंधित कोई भी भुगतान योग्य शुल्क या न्यायालय शुल्क; कम कर सकेगी या उसमें छूट प्रदान कर सकेगी।

दस्तावेजों के अनिवार्य पंजीकरण से छूट

58. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के खण्ड 17(1)(बी) और (सी) में कोई भी बात--
- (क) सहकारिता की आस्तियों के अखण्ड अथवा अचल संपत्ति के एक हिस्से में होने के बावजूद किसी सहकारिता में अंशों से संबंधित कोई दस्तावेज;

(ख) ऐसी किसी भी सहकारिता द्वारा जारी किया गया कोई भी ऋणपत्र, अचल संपत्ति में कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित अथवा समाप्त करने हेतु, सिवाय जहाँ तक यह धारक को किसी ऐसी पंजीकृत दस्तावेज द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति के लिए पात्र बनाता है जिसके द्वारा सहकारिता ने ऐसे ऋणपत्रों के धारकों के लाभ के लिए अपनी अचल संपत्ति का संपूर्ण अथवा एक हिस्सा अथवा उसमें कोई भी हित न्यास के न्यासहितों को गिरवी रख दिया है, अभिहस्तांतरित कर दिया है या अन्यथा हस्तांतरित कर दिया है;

(ग) ऐसी किसी सहकारिता द्वारा जारी किए गए किसी अन्य ऋणपत्र पर अथवा उसके अंतरण के लिए किसी पृष्ठांकन पर लागू नहीं होगी।

59. रजिस्ट्रार अथवा धारा 46 के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति या धारा 49 के अधीन अधिकरण का कोई सदस्य या धारा 53 के अधीन कोई समापक भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम की धारा 21) से अभिप्रेत लोक सेवक समझा जाएगा। रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी लोक सेवक होंगे
60. किसी सहकारिता के अलावा कोई भी व्यक्ति 'सहकारी' अथवा अंग्रेजी में इसके समतुल्य "को-आपरेटिव" शब्द संयुक्त नाम अथवा शीर्षक के अधीन व्यापार या कारोबार नहीं कर सकेगा। 'सहकारी' अथवा 'को-आपरेटिव' शब्द के प्रयोग के विरुद्ध निषेध

अनुसूची-क

धारा 2(8), एवं 3(3)

सहकारिता की पहचान के विवरण

(जैसा कि - अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संधि द्वारा सितम्बर(1995) में मानचेस्टर में स्वीकार किया गया)

परिभाषा

1. कोई भी सहकारिता स्वेच्छा से एक हुए व्यक्तियों का ऐसा स्वशासी संगम है जो उन की सामान्य आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं को किसी संयुक्त स्वामित्व तथा लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से पूरा करता है।

मूल्य

2. सहकारिताएं स्वावलंबन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, समता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हैं। अपने संस्थापकों की परम्परा में सहकारिता के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा परोपकार के नैतिक मूल्यों में विश्वास करते हैं।

सिद्धान्त

3. सहकारिता के सिद्धान्त वे मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं, जिनके द्वारा वह अपने मूल्यों को व्यवहार में परिवर्तित करती है।

पहला सिद्धान्त : स्वेच्छया तथा खुली सदस्यता.

सहकारिताएं ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हैं और सदस्यता के उत्तरदायित्व को किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना रजामंदी से स्वीकार करते हैं।

दूसरा सिद्धान्त : सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारिताएं अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन हैं, जो उसकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरुष तथा स्त्रियां सदस्यता के प्रति जवाबदार हैं। प्राथमिक सहकारिताओं के सदस्यों को समान मताधिकार (एक सदस्य-एक मत) प्राप्त है तथा सहकारिताएं अन्यस्तारों पर भी लोकतांत्रिक रीति में संगठित होती हैं।

तीसरा सिद्धान्त : सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सदस्य अपनी सहकारिता की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारिता की सार्वजनिक संपत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर सीमित प्रतिकर, यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित में से किन्हीं प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं। संभवतः आरक्षित निधि स्थापित करके उनकी सहकारिता का विकास करने के लिए, जिसका कुछ भाग अविभाज्य हो, सदस्यों को सहकारिता में उनके लेन-देन के अनुपात में लाभ पहुंचाना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

चौथा सिद्धान्त : स्वायत्तता तथा स्वाधीनता

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी, आत्मनिर्भर संगठन हैं। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं या बाह्य श्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपनी सहकारिता की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए करती हैं।

पांचवा सिद्धान्त : शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी

सहकारिताएं अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं, जिससे वे अपनी सहकारिताओं के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें। वे जन सामान्य, विशेषतः युवावर्ग को जानकारी प्रदान करती हैं तथा सहकारिता की प्रकृति तथा लाभ के बारे में नेताओं को राय देती हैं।

छठा सिद्धान्त : सहकारिताओं में सहयोग

सहकारिताएं स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती हैं और सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करती हैं।

सातवां सिद्धान्त : समुदाय के लिए रूकोकार

सहकारिताएं अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के धारणीय विकास के लिए कार्य करती हैं।

अनुसूची-ख

धारा 3(4) एवम् 3(5)

संगम ज्ञापन

(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिताओं के लिए)

(प्रारूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम निम्नलिखित व्यक्ति-

क्र.सं.	पूरा नाम:- साफ अक्षरों में	पूरा डाक पता:- साफ अक्षरों में	यदि प्रवर्तक व्यक्ति है, तो उनका व्यवसाय

अपने को उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारिता के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं।
(कृपया प्रवर्तकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनायें)

- पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त क्रम सं.पर श्री/श्रीमती
.....हमारे प्रतिनिधि होंगे और सगी पत्र व्यवहार उनको उनके पते
.....पर किए जाएं।
- हमारी सहकारिता का नाम.....
- हमारी सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय
.....में स्थित होगा(कृपया रिक्त स्थान में
गांव/कस्बा/शहर का नाम लिखें)।

5. हमारी सहकारिता का लक्ष्य होगा—
(यहां पर केवल उन्हीं आवश्यकताओं को बताया जाए जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हो तथा जिन्हें सहकारिता को पूरा करना है तथा जिनके लिए इसकी स्थापना की जा रही है अर्थात्— डेरी उद्योग/रेशम उत्पादन/धान की खेती आदि अथवा अच्छी गुणवत्ता वाली उपभोक्ता सामग्रियों तक पहुंच/आवास प्रबंध/युक्तियुक्त दामों पर उत्पादन निवेश, अथवा बचत एवं उद्यम/बीमा तक पहुंच आदि/कृपया यहां पर उन सेवाओं या कार्यकलापों की सूची न दे जिनके माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा)।
6. हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची 'क' में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन्हीं के अनुरूप अपनी सहकारिता का प्रबन्ध करने का इरादा रखते हैं।
7. हमने निम्नलिखित कागजात संलग्न किए हैं :-
(क) हम, प्रवर्तकों द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;
(ख) समा में संगम अनुच्छेद को अंगीकार करते हुए पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि;
(ग) श्री/श्रीमती वकील/
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से घोषणा पत्र कि पंजीकरण के संबंध में हमारे द्वारा इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं का पूरी तरह पालन किया गया है।
8. दिनांक को (स्थान), में हम लोगों द्वारा हस्ताक्षरित :-

क्र. सं.	पूरा नाम (जहाँ सहकारिता प्रवर्तक है, प्रतिनिधि के नाम और पदनाम सहित)	हस्ताक्षर

अनुसूची-ग

धारा 3(6)

पंजीकरण का प्रमाण-पत्र
(पंजीकृत की जाने वाली सहकारिता के लिए)
रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता
उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 की
धारा 3 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि

.....

.....

इसके संगम ज्ञापन और प्राधिकृत संगम अनुच्छेद सहित
संख्या के साथ पंजीकृत हैं

मेरे हस्ताक्षर एवं मेरी मुद्रा के
अधीन.....को जारी

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता
उत्तरांचल सरकार

अनुसूची-घ

धारा 4(2) एवम् 6(3)

संगम ज्ञापन

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली
सहकारिताओं के लिए)

(प्ररूप जिसमें प्रस्तुत किया जाना है)

1. हम के बोर्ड के निदेशक एतद्वारा यह कथन करते हैं कि हमारी सहकारी समिति का साधारण निकाय यह चाहता है कि हमारी सहकारी समिति अब उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2002 के अधीन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत हो जाए।
(कृपया सहकारी समिति का वर्तमान पूरा नाम यहां भरें)
2. पंजीयन के प्रयोजन के लिए सभी पत्राचार कृपया को पर भेजे जाएं।
(कृपया पहली खाली जगह में सहकारी समिति के संपर्क व्यक्ति का नाम एवं पदनाम तथा दूसरी खाली जगह में सहकारी समिति का डाक का पूरा पता भरें)
3. उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 में परिवर्तन के बाद हमारी सहकारिता का नाम वही रहेगा / हो जाएगा।
(नाम में परिवर्तन होगा अथवा नहीं के आधार पर उपर्युक्त में से जो भी लागू न हो काट दिए जाए)
4. हमारी सहकारी समिति का पंजीकृत कार्यालय में स्थित है और वहीं पर रहेगा / बदल कर हो जाएगा।
(खाली जगह में गांव/कस्बे/शहर का नाम भरें और जो लागू न हो, उसे काट दें)
5. हमारी सहकारी समिति का लक्ष्य है और परिवर्तन हो जाने के बाद भी वही रहेगा / परिवर्तित होकर हो जाएगा।
(पहली खाली जगह में केवल उन्हीं आवश्यकताओं को भरा जाए जो सभी सदस्यों के लिए सामान्य हों और जिनके लिए सहकारी समिति स्थापित की गई थी और दूसरी खाली जगह में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसे भरें / कृपया यहां उन सेवाओं की सूची न दें जिनके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा)
6. हम लोगों ने इसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया है :-
(क) हमारे साधारण निकाय द्वारा पारित किए गए संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची-क में यथानिर्धारित सहयोग के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है;
(ख) हमारे साधारण निकाय द्वारा यथा अंगीकृत प्रस्तावित सहकारिता का संगम अनुच्छेद;
(ग) समा में संगम अनुच्छेद को अंगीकृत करते हुए पारित किये गए संकल्प की एक प्रति;

- (घ) साधारण निकाय की ऐसी घोषणा की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति को सरकार से या अन्य बाह्य स्रोतों से कोई अंशपूजी नहीं प्राप्त हुई है और न ही सदस्यों के अलावा सरकार अथवा किन्हीं अन्य बाह्य स्रोतों से कभी भी अंशपूजी प्राप्त करने का इरादा ही है;
- (ङ) नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण की एक सत्यापित प्रतिलिपि;
- (च) विभिन्न आरक्षित निधियों से संचित हानियों को मिटाने के संबंध में विवरणों से युक्त साधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि और/अथवा सभा में यथा विनिश्चित सदस्यों के लेखाओं के नामे डालकर, (अथवा) साधारण निकाय के संकल्प की एक सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें यह कथन है कि हमारी सहकारी समिति में हानियां नहीं हैं चाहे वह संचित हो या वर्तमान;
- (छ) किसी लेखापरीक्षक द्वारा सही प्रमाणित की गई संचित हानियों, यदि कोई हो, के समायोजन का कथन;
- (ज) श्री / श्रीमती
वकील/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की घोषणा कि पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की सभी आवश्यकताएं हमारे द्वारा पूरी की गई हैं।

7. उस साधारण निकाय सभा की विशिष्टियां जिसमें परिवर्तन का विनिश्चय किया गया था—

साधारण निकाय की सभा की तिथि	साधारण निकाय सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या	साधारण निकाय सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	सदस्यों की संख्या जिन्होंने परिवर्तन के पक्ष में मद दिया

8. हम लोगों द्वारा दिनांक को (स्थान) में हस्ताक्षरित किया गया :-

क्र.सं.	निदेशक का पूरा नाम	पदनाम	हस्ताक्षर

(नोट—कृपया निदेशकों की संख्यानुसार पंक्तियां बनायें एवं मुख्य कार्यपालक के हस्ताक्षर भी लिए जायें)।

अनुसूची-ड

धारा 4(2)

पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

(उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से परिवर्तित होने वाली सहकारिताओं के लिए)

रजिस्ट्रार स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 2003 की

धारा 4 के अधीन पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

में एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि

अपने संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद सहित संख्या.....के साथ

पंजीकृत की गई है।

यह सहकारिता, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत(पंजीकरण संख्या.....दिनांक.....) की उत्तराधिकारी है, जिसका पंजीकरण अब से निरस्त हो जाएगा और अब इसके द्वारा इसकी पूर्ववर्ती सहकारी समिति के सभी अधिकारों, बाध्यताओं और आस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण कर लिया माना जाएगा। उस पूर्ववर्ती सहकारी समिति के सभी कृत्य और लेन-देन इस सहकारिता पर न्यायगत हो जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर और मेरी मुद्रा के अधीन

आज दिनांक.....को जारी किया गया।

रजिस्ट्रार, स्वायत्त सहकारिता

उत्तरांचल सरकार

अनुसूची-च

धारा 6(3)

जब किसी सहकारिता के संगम अनुच्छेद की विरचना की जानी हो तो विनिर्दिष्ट विचार के लिए विषय वस्तु,

1. सहकारिता की पहचान

- (क) सहकारिता का नाम और कोई संक्षिप्त नाम जिससे सहकारिता प्रचलित होनी हो;
- (ख) ग्राम/कस्बा/शहर जहां सहकारिता का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाना है;
- (ग) सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा तथा उपयोग।

2. लक्ष्य तथा सेवा

- (क) सदस्यों की सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता के रूप में स्पष्टतया कथित सहकारिता का लक्ष्य जिसे सहकारिता पूर्ति करने का लक्ष्य रखती है;
- (ख) लक्ष्य में वर्णित सामान्य केन्द्रीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों की अभ्यन्तर सेवा तथा समर्थित सेवा;
- (ग) वे शर्तें जिनके अधीन गैर सदस्यों को सेवाएं दी जा सकेंगी।

3. सदस्यता

- (क) सदस्यता हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र;
- (ख) ऐसे सदस्य द्वारा आस्तियों के लिए प्रपत्र जिसके ऊपर सहकारिता को देय बकाया राशि प्रथम प्रभार होगी;

- (ग) सदस्यता प्राप्त करने के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (घ) सदस्य बनाये रखने के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (ङ.) सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया;
- (च) सदस्यता से हटने के लिए प्रक्रिया;
- (छ) सदस्यता की समाप्ति के लिए प्रक्रिया;
- (ज) परिस्थितियां जिनके अधीन सदस्यता खत्म हो जायेगी;
- (झ) सदस्यता के अस्तित्वहीन होने की प्रक्रिया।
4. सदस्यों के अधिकार तथा बाध्यताएं
- (क) सदस्यों का अधिकार;
- (ख) मताधिकार को सम्मिलित करते हुए सदस्यता के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए पात्रता क्रम में वित्तीय अभिवंधन, सभा में भाग लेना, तथा संगम अनुच्छेद की अनुषक्ति के विरुद्ध सेवाओं का उपयोग तथा प्रत्येक सदस्य से वार्षिक रूप से प्रत्याशित न्यूनतम काम से नियतन की रीति;
- (ग) नियत किए गए न्यूनतम स्तर से नीचे काम करने का परिणाम;
- (घ) किसी सदस्य से शोध्य किसी राशि के भुगतान में व्यतिक्रम का परिणाम।
5. साधारण निकाय
- (क) साधारण निकाय की तथा प्रत्यायुक्त साधारण निकाय यदि कोई हो, की भूमिका और वे विषय जिनके बारे में साधारण निकाय तथा प्रतिनिधित्व साधारण निकाय द्वारा, यदि हों, विचार किया जाना आवश्यक समझा जाए;
- (ख) साधारण सभा बुलाए जाने की रीति तथा उनकी आवृत्ति तथा अपेक्षित गणपूर्ति;
- (ग) सभा को स्थगित करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति;
- (घ) वे शर्तें एवं रीतियां जिनके अनुरूप माध्यस्थम् अधिकरण साधारण सभा बुला सकेगा;
- (ङ.) साधारण सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;
- (च) असाधारण साधारण सभा बुलाने का उत्तरदायित्व लेने के लिए व्यक्ति और उसे बुलाने की रीति और वह कालावधि जिसमें ऐसी बैठक, तदर्थ बोर्ड की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए बुलायी जानी थी।
6. निदेशक बोर्ड
- (क) निदेशक बोर्ड का आकार तथा संरचना;
- (ख) निदेशक होने, के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (ग) निदेशक का पद धारण करने के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (घ) निदेशकों के निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया;
- (ङ.) निदेशकों की पदावधि;
- (च) बोर्ड की सभा की आवृत्ति;
- (छ) बोर्ड की सभा बुलाने की रीति तथा गणपूर्ति;
- (ज) बोर्ड के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां;
- (झ) बोर्ड की सभा की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त;
- (ञ) निदेशकों के कृत्य, दायित्व एवं शक्तियां;
- (ट) माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा तदर्थ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता, अपात्रता।
7. अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी
- (क) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, का निर्वाचन एवं उन्हें पद से हटाना;
- (ख) अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों, यदि कोई हों, के कार्य, दायित्व एवं शक्तियां।
8. मुख्य कार्यपालक एवं कर्मचारीवृन्द
- (क) वह व्यक्ति जो सहकारिता की और से वाद ला सकता है या जिस पर वाद लाया जा सकेगा;
- (ख) मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति तथा उसे हटाए जाने की रीति;
- (ग) मुख्य कार्यपालक के कार्य, दायित्व तथा शक्तियां।

9. वित्त

- (क) वह वित्तीय वर्ष जिसे सहकारिता अंगीकरण करना चाहती है;
- (ख) लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (ग) आन्तरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (घ) सहकारिता की साम्य पूंजी की प्रकृति और धनराशि, यदि कोई हो;
- (ङ) वह अधिकतम पूंजी जिसे एकल सदस्य रख सकता है;
- (च) जुटाई जाने वाली निधियों का प्रकार तथा उसकी सीमा;
- (छ) वे प्रयोजन जिनके लिए सहकारिता द्वारा जुटाई जाने वाली निधियां उपयोजित की जा सकेंगी;
- (ज) ऋण समता का वह अनुपात जिसे वह सहकारिता सदैव बनाए रखना चाहती है तथा वह अधिकतम बाह्य ऋण जिसे कोई सहकारिता किसी भी समय स्वयं के लिए अनुपात करना चाहती है;
- (झ) किसी सदस्य द्वारा शेयर या ब्याज के अंतरण की प्रक्रिया;
- (ञ) सहकारिता द्वारा शेयर के मोचन की प्रक्रिया;
- (ट) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ब्याज के अंतरण या संदाय की प्रक्रिया;
- (ठ) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए सदस्यों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;
- (ड) सहकारिता द्वारा संविदाकृत ऋण के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व की प्रकृति तथा उसकी सीमा;
- (ढ) निधियों के निपटारे की रीति यदि परिसमापन के अधीन हो।

10. सहायक सहकारिताएं

- (क) वे अधिकार, यदि कोई हों, जिन्हें कोई सहकारिता ऐसी किसी सहायक सहकारिता को प्रदत्त करना चाहती है जिसकी कि वह सदस्य है तथा वे परिस्थितियां जिनमें ऐसी सहायक सहकारिताओं द्वारा इन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा;
- (ख) सहायक सहकारिता के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने तथा उन्हें बदलने की प्रक्रिया।

11. माध्यस्थम् अधिकरण

- (क) विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम् अधिकरण के गठन एवं कार्य करने की रीति।
- (ख) माध्यस्थम् रूप में चुने जाने के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (ग) माध्यस्थम् रूप में बने रहने के लिए पात्रता, अपात्रता;
- (घ) वे रीतियाँ एवं शर्तें जिनके अधीन माध्यस्थम् अधिकरण तदर्थ बोर्ड नियुक्त कर सकेगा।

12. अन्य विवाद

- (क) वह भाग जिसमें सहकारिता के कामकाज का संचालन किया गया है;
- (ख) अस्थायी प्रकृति के कोई उपबन्ध;
- (ग) सहकारिता के विघटन की रीति;
- (घ) संगम अनुच्छेद में संशोधन की रीति।

आज्ञा से,

मरोसी लाल,
राचिव।

No. 175/Vidhayee & Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, May 21, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal self Reliant Co-operative Act, 2003, (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 04 of 2003).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on May 21, 2003.

UTTARANCHAL SELF RELIANT CO-OPERATIVES ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT No. 04 OF 2003)

AN

Act

to provide for the formation and transformation of co-operatives as self-reliant, self-help, mutual-aid, autonomous, voluntary, democratic, business enterprises, jointly owned, managed and controlled by their members for their economic and social betterment, through the financially gainful provision of core services which fulfil a common need felt by them, and for the matters connected therewith or incidental thereto, be it enacted by the Legislature of the State of Uttaranchal in the 54th year of the Republic of India, as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003.
 (2) It extends to the whole of the State of Uttaranchal.
 (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Uttaranchal Gazette, appoint in this behalf :

provided that while appointing such date, the State Government may declare that any provisions to be specified in the declaration shall not come into force from the date so appointed and in that case such provisions shall come into force from such date or dates as the State Government may similarly appoint in that behalf.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

- (1) "arbitral tribunal" means a tribunal consisting of an individual or a group of individuals not being even in number, constituted by the general body of a co-operative for settlement of disputes, in accordance with the articles of association of that co-operative;

- (2) "articles of association" means the regulations of the co-operative as originally framed by the promoters of a co-operative or as amended from time to time by the general body of that co-operative, in accordance with this Act, for the management of the affairs of such co-operative;
- (3) "Board" or "Board of Directors" means the governing body of a co-operative by whatever name called, to which the direction of the affairs of the co-operative is entrusted by the articles of association of that co-operative;
- (4) "chief executive" means that individual, in paid or honorary capacity, nominated or elected or appointed by the Board of a co-operative from among members, directors or others, in accordance with the articles of association, who is the person to sue or be sued on behalf of the co-operative, and who performs such functions, and has such responsibilities and powers as are specified in the articles of association, and assigned by the Board;
- (5) "common need" means that economic need which is common to all those who wish to form a co-operative, or have taken membership in a co-operative, and which the co-operative is expected to fulfil through the provision of core services;
- (6) "co-operative", where used as a noun, means a self-reliant, self-help, mutual-aid, autonomous, voluntary, democratic, business enterprise registered under this Act, which is jointly owned, managed and controlled by its members, who may be individuals or
co-operatives, for their economic and social betterment, through the financially gainful provision of core services which fulfil a common need felt by them;
- (7) "co-operative business" means a business which is committed to functioning in accordance with the principles of cooperation, and includes all co-operatives registered under this Act;
- (8) "co-operative identity" means the Statement of Co-operative Identity specified in Schedule A of this Act;
- (9) "co-operative society" means a society registered under the U. P. Co-operative Societies Act, 1965, before and after the appointed day of creation of Uttaranchal under U.P. Reorganisation Act, 2000;
- (10) "Co-operative Societies Act" means U.P. Co-operative Societies Act, 1965;
- (11) "core services" means those central services provided to members, through which a co-operative intends to meet that economic need common to all members for the fulfilment of which the co-operative was established, and the fulfilment of which is expected to result in the economic and social betterment of members;

- (12) "Court" means the principal Civil Court of original jurisdiction in a district, and includes the High Court in exercise of its original civil jurisdiction;
- (13) "deficit" means the excess of expenditure over income, arrived at, at the end of a financial year ;
- (14) "deficit charge" means the amount collected from/debited to the accounts of members, in proportion to the use and/or non-use of the services of the co-operative, in accordance with the articles of association and resolutions of the general body, to meet deficit, if any, in whole or part;
- (15) "delegate" means a member nominated by a co-operative to represent its interests at the time of promotion of a secondary co-operative, and/or at meetings of a secondary co-operative to which the co-operative is affiliated;
- (16) "director" means a member elected in accordance with the articles of association, to the Board of the co-operative;
- (17) "financial year" means the year commencing from the first day of April and ending on thirty first March next following, except if otherwise provided for in the articles of association ;
- (18) "general body" in relation to a co-operative, means all its members;
- (19) "general meeting" means a meeting of the general body called and conducted in accordance with the provisions of this Act and the articles of association of the co-operative;
- (20) "government" means the Government of Uttaranchal;
- (21) "member" means a person who is in need of and is able to use the core services of a co-operative and who is admitted and continues as a member of the co-operative, in accordance with the provisions of this Act and the articles of association of that co-operative, and includes a "member-co-operative";
- (22) "Member-Co-operative" means a primary or secondary co-operative which is in need of and is able to use the core services of a secondary co-operative, and which is admitted as a member of that secondary co-operative, in accordance with the provisions of this Act and the articles of association of that secondary co-operative;
- (23) "memorandum of association" means the document expressing the desire of the promoters to form themselves into a co-operative;
- (24) "office-bearer" means a Director elected by the Board of a co-operative to any office of such co-operative in accordance with its articles of association;
- (25) "officer of the co-operative" means the president, vice president, chairmen, vice chairmen, secretary, chief executive, member of committee of management, treasurer, liquidator, or any other persons employed by a co-operative whether with or without remuneration to carry on the business of the co-operative or to supervise its affairs;

- (26) "ordinary resolution" means a resolution of the general body which has the approval of the majority of members with the right of vote, present and voting at the general meeting;
- (27) "person" means an individual or institution competent to contract;
- (28) "potential member" means a person who needs the core services being offered by a co-operative, and is eligible to be a member of that co-operative, but is not yet its member;
- (29) "president" means the president elected among the elected members of the Board to preside over its meetings and the meetings of the general body, and to perform such other functions and have such other powers and responsibilities as are specified in the articles of association and assigned by the Board;
- (30) "primary co-operative" means a co-operative whose members are individuals;
- (31) "Registrar" means the person for the time being appointed as Registrar of Co-operatives by the State Government under this Act;
- (32) "secondary co-operative" means a co-operative whose members are primary co-operatives;
- (33) "special resolution" means a resolution of the general body, at a meeting called with at least 15 days notice, which has the approval of more than half of all the members of the co-operative with right of vote at the time of the general meeting, or of at least two-thirds of members with right of vote at the time of the general meeting and present in the general meeting, whichever is less;
- (34) "surplus" means the excess of income over expenditure, arrived at, at the end of the financial year;
- (35) "surplus refund" means the refund from the surplus given/credited to the accounts of members, in proportion to their use of the services of the co-operative in accordance with the provisions of the articles of association made therein;

CHAPTER II

REGISTRATION

3. (1) The State Government may appoint a person to be the Registrar of co-operatives for the State.
- (2) The State Government, may for the purposes of this Act, by general or special order, appoint other persons to assist the Registrar and may confer on such person any or such of the powers of the Registrar as the government may specify.
- (3) From the date of notification of this Act, all co-operative businesses in reference to Schedule A, whose members are drawn from within the state of Uttaranchal shall be registered under this Act.

Registration of
a Co-operative

- (4) A memorandum of association, in the form provided for in Schedule B, may be submitted to the Registrar by hand or by registered post, signed by the individuals who wish to form a primary co-operative or by the delegates of co-operatives which wish to form a secondary co-operative.
- (5) 7 or more individuals, or two or more cooperatives may form a cooperative under this Act.
- (6) The Registrar shall register the memorandum of association, and also take on record its articles of association and communicate by registered post a certificate of registration, as specified in Schedule C, and a certified copy of the memorandum of association and of the articles of association signed by him/her, within sixty days from the date of submission of the memorandum of association, to such person as is specified in the Memorandum.
- (7) If the conditions laid down in sub-section 5 (4) are not fulfilled, the Registrar shall communicate by registered post the order of refusal together with the specific reasons therefor, within sixty days from the date of submission of Memorandum, to such person as is specified in the Memorandum.

provided that no order of refusal shall be passed except after giving an opportunity of making representation on behalf of the promoters by the person specified in the Memorandum.

- (8) Where a co-operative is registered under sub-section (6), the certificate of registration signed and sealed by the Registrar shall be conclusive evidence that the association mentioned therein is a co-operative duly registered under this Act, unless it is proven that the registration of the co-operative has been cancelled.
- (9) Where within seventy-five days of submission of the Memorandum for registration, the person specified in the Memorandum receives neither the certificate of registration nor the order of refusal, the cooperative will be deemed to be registered under this Act, and the Registrar shall issue a certificate of registration, within the following 15 days.

Conversion of a
Co-operative
Society under
this Act

4. (1) Notwithstanding anything in the Uttaranchal Cooperative Societies Act, 2003, a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 2003, may opt for registration under this Act through a special resolution of the general body;

Provided that where the cooperative society is in receipt of share capital from the government, it shall undertake, in writing, to retire such share capital within 5 years from the date of registration, at the rate of not less than 15% per annum, of the total equity of the government on the date of conversion.

- (2) The registration of such society shall be made in accordance with the provisions of this Act, and where within seventy five days of submission of the Memorandum for registration as specified in schedule D, the person specified in the Memorandum receives neither the certificate of registration as specified in schedule E nor the order of refusal, the promoters may move the appropriate Court of Law.

Co-operative to be
a body corporate

5. On registration, every co-operative shall become a body corporate by the name under which it is registered having perpetual succession and a common seal. The co-operative shall hold and dispose of property, enter into

contracts, institute and defend suits and other legal proceedings and do all other things necessary for the purpose for which it was constituted and registered under section 3 and 4 of this Act:

6. (1) The members constituting a co-operative, shall have a set of articles of association, formulated and amended from time to time, which shall not be in contravention to the provisions of this Act; Articles of Association
- (2) Except on such specific matters which the Act has provided for and which the articles of association may further regulate on but not contravene, the functioning of every co-operative shall be regulated by its articles of association.
- (3) The articles of association may contain such matters as are decided by the members and shall be specific on all matters listed in Schedule F of this Act.
7. (1) A co-operative may decide, by a special resolution, to amend its articles of association; Amendment of articles of association
- provided that the text of such proposed amendment with reasons therefor shall be sent to each member, along with the notice of the general meeting in which the proposed amendment is to be discussed.
- (2) A copy of any amendment shall be forwarded by the co-operative by registered post to the Registrar within a period of thirty days from the date of the general meeting at which the resolution was passed.
- (3) Every such amendment forwarded to the Registrar shall be signed by the President and two Directors and shall be accompanied by the following particulars:
- (a) a copy of the resolution agreeing to the amendment;
- (b) the date of the general meeting at which the amendment was approved;
- (c) the date on which the amendment comes into force.
- (4) The Registrar shall take on record the amendment immediately on receipt of the notice;
- provided that the Registrar may refuse to record such amendment(s) if in his opinion any such amendment(s) is/are contrary to the provisions of this Act;
- provided further that no such order refusing to record the amendment shall be passed, unless the co-operative concerned is given an opportunity of being heard.
8. (1) A co-operative may not be registered with the same name as another co-operative business already registered under this Act or the Co-operative Societies Act; Name of a co-operative

provided that where the articles of association of a secondary co-operative require all its member-co-operatives to use a common name, the name of each such member-co-operative shall have its location or other distinguishing feature included in common name.

- (2) Every co-operative shall display its full name in legible characters in a conspicuous position:
- at every office or place at which it carries on business;
 - in all notices and other official publications;
 - on all its contracts, business letters, orders for goods, invoices, statements of account, receipts and letters of credit; and
 - on all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.
- (3) Every co-operative shall display its full name in legible characters on its common seal.
- (4) Nothing in sub-section (2) shall prevent a co-operative displaying more conspicuously than the full name, any shorter name by which it is popularly known and which is specifically provided for in the articles of association.
- (5) A co-operative may, by an amendment to its articles of association, change its name;

provided, however, that before changing its name it shall send notice of its intention to change its name to the Registrar, along with the proposed name/s, and the Registrar shall, within fifteen days of receiving such notice inform the co-operative if such name is already in use by another co-operative.

- (6) Where a co-operative changes its name, the Registrar shall
- enter the new name of the co-operative in the register of co-operatives in place of the former name;
 - make necessary changes in the memorandum of association and articles of association;
 - issue a fresh certificate of registration with the necessary alterations;
 - communicate to the co-operative, by registered post, the fresh certificate of registration along with certified copies of the amended Memorandum and Articles.
- (7) The change of name of a co-operative shall not affect any rights or obligations of the co-operative or of any of its members or past members or render defective any legal proceedings by or against it; and any legal proceedings which might have been continued or commenced by or against the co-operative by its former name may be continued or commenced by its new name.
- (8) A co-operative which changes its name shall publicise such change in name in a popular newspaper in the district in which its registered office is located.

Location of registered office

9. (1) Every co-operative shall notify to the Registrar the full address of its registered office, within ninety days of being registered as a co-operative.
- (2) Every co-operative shall display in full the address of its registered office in legible characters in a conspicuous position:
- at every office or place at which it carries on business;
 - in all notices and other official publications;

- (c) on all its contracts, business letters, orders for goods, invoices, statements of account, receipts and letters of credit; and
- (d) on all bills of exchange, promissory notes, endorsements, cheques and orders for money it signs or that are signed on its behalf.
- (3) A co-operative may, by a resolution of the Board of Directors, change the address of its registered office;
- provided, however, that it shall give notice of such change to its members, creditors, the Registrar and to any secondary co-operative/s to which it may be affiliated, within fifteen days of the Board resolution, and to its members and creditors, at least ten days before effecting the change.
- (4) The Registrar shall, within fifteen days of receiving information from a co-operative, take on record, in the register of co-operatives, the full address of the registered office of a co-operative, and any changes thereof.
10. (1) A co-operative may, by a special resolution, decide to transfer its assets and liabilities, in whole or in part, to any other co-operative which agrees, by a special resolution, to receive such assets and liabilities. Transfer of assets and liabilities
- (2) Where special resolutions are passed under sub-section (1), each co-operative shall, within the following 15 days, give notice thereof together with a copy of the resolution passed by it to all its members and creditors, and notwithstanding any provision in the articles of association or contract to the contrary, any member other than one who voted in favour of the proposed transfer of assets and liabilities and any creditor shall, during a period of fifteen days from the date of service of the notice upon him/her, have the option of withdrawing from the co-operative, his/her interests, subject to the discharge of his/her obligations to the co-operative.
- (3) Any member or creditor who does not exercise his/her option within the period specified in sub-section (2) shall be deemed to have agreed to the resolution.
- (4) The special resolutions passed under sub-section (1) shall not take effect until --
- (a) all claims of the members and creditors of each co-operative who have exercised the option under sub-section (2) have been met in full or otherwise satisfied; and
- (b) information about the transfer of assets and liabilities has been sent by the co-operatives concerned to the Registrar and the Registrar's acknowledgement of receipt of the information received.
- (5) When special resolutions passed under sub-section (1) take effect, the resolutions shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.
- (6) When a co-operative transfers the whole of its assets and liabilities to any other co-operative, under this section, the registration of the co-operative shall stand cancelled and it shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a registered body, and the Registrar shall delete the name of the co-operative from the register of co-operatives.

- Division 11. (1) A co-operative may, by a special resolution, decide to divide itself into two or more co-operatives.
- (2) Where a special resolution is passed under sub-section (1), the co-operative shall, within the following 15 days, give notice thereof together with a copy of the resolution to all its members and creditors and, notwithstanding any provision in the articles of association or contract to the contrary, any member other than one who voted in favour of the proposed division, or creditor shall, during a period of fifteen days from the date of service of the notice upon him/her, have the option of withdrawing from the co-operative, his/her interests, subject to the discharge of his/her obligations to the co-operative.
- (3) Any member or creditor who does not exercise his/her option within the period specified in sub-section (2) shall be deemed to have agreed to the resolution.
- (4) A special resolution passed under sub-section (1) shall not take effect until
- (a) all claims of the members and creditors of the co-operative who have exercised the option under sub-section (2) have been met in full or otherwise satisfied;
- (b) information of the impending division and settlement of claims of members and creditors is sent to the Registrar and the Registrar's acknowledgement of receipt of the information is obtained; and
- (c) the certificates of registration and the copies of the registered Memorandum and articles of association of the resultant co-operatives, signed and sealed by the Registrar, are issued in accordance with section 3.
- (5) When a co-operative divides itself into two or more co-operatives under this section, the registration of the erstwhile co-operative shall stand cancelled and it shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a body corporate and the Registrar shall delete the name of the co-operative from the register of co-operatives.
- (6) When a co-operative divides itself into two or more co-operatives, each member who has assented to the division shall be deemed to have become a member of that newly formed co-operative to which his/her interests were transferred, in accordance with the scheme of division approved by the general body.
- (7) When a special resolution passed under sub-section (1) takes effect, the resolution shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferees without any further assurance.
- Amalgamation 12. (1) Any two or more co-operatives may, by special resolutions, decide to amalgamate themselves and form a new co-operative.
- (2) Where special resolutions are passed under sub-section (1), each co-operative shall, within the following 15 days, give notice thereof together with a copy of the resolution passed by it to all its members and creditors, and notwithstanding any provision of the articles of association or contract to the contrary, any member other than one who voted in favour of the

proposed amalgamation, or creditor shall, during a period of fifteen days from the date of service of the notice upon him/her, have the option of withdrawing from the co-operative, his/her interests, subject to the discharge of his/her obligations to the co-operative.

- (3) Any member or creditor who does not exercise his/her option within the period specified in sub-section (2) shall be deemed to have assented to the resolution.
 - (4) The special resolutions passed under sub-section (1) shall not take effect until --
 - (a) all claims of the members and creditors of each co-operative who have exercised the option under sub-section (2) have been met in full or otherwise satisfied;
 - (b) information of the impending amalgamation and settlement of claims of members and creditors is sent to the Registrar and the Registrar's acknowledgement of receipt of the information is obtained; and
 - (c) the certificate of registration and a copy of the Memorandum and articles of association of the resultant co-operative, signed and sealed by the Registrar, are issued in accordance with section 3.
 - (5) When two or more co-operatives amalgamate themselves into a new co-operative under this section, the registration of the co-operatives so amalgamated shall stand cancelled and they shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as body corporates, and the Registrar shall delete the names of the co-operatives from the register of co-operatives.
 - (6) When two or more co-operatives amalgamate themselves into a new co-operative under this section, all the members of the co-operatives who have assented or are deemed to have assented to the amalgamation shall be deemed to have become members of the new co-operative.
 - (7) When special resolutions passed under sub-section (1) take effect, the resolutions shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.
13. (1) A co-operative may, by a special resolution, decide to merge itself into any other co-operative which agrees, by a special resolution, to such merger.
- (2) Where special resolutions are passed under sub-section (1), each co-operative shall, within the following 15 days, give notice thereof together with a copy of the resolution passed by it to all its members and creditors, and notwithstanding any provision in the articles of association or contract to the contrary, any member other than one who voted in favour of the proposed merger, or creditor shall, during a period of fifteen days from the date of service of the notice upon him/her, have the option of withdrawing from the co-operative, his/her interests, subject to the discharge of his/her obligations to the co-operative.
- (3) Any member or creditor who does not exercise his/her option within the period specified in sub-section (2) shall be deemed to have assented to the resolution.

Merger

- (4) The special resolutions passed under sub-section (1) shall not take effect until –
- all claims of the members and creditors of each co-operative who have exercised the option under sub-section (2) have been met in full or otherwise satisfied; and
 - information of the impending merger and settlement of claims of members and creditors is sent to the Registrar and the Registrar's acknowledgement of receipt of the information is obtained.
- (5) When a co-operative merges itself into any other co-operative under this section, the registration of the co-operative shall stand cancelled and it shall be deemed to have been dissolved and shall cease to exist as a registered body, and the Registrar shall delete the name of the co-operative from the register of co-operatives.
- (6) When a co-operative merges itself into any other co-operative under this section, the members of the first co-operative shall be deemed to have become the members of the second co-operative.
- (7) When special resolutions passed under sub-section (1) take effect, the resolutions shall be sufficient conveyance to vest the assets and liabilities in the transferee without any further assurance.
- Fee for services 14. (1) The submission of Memorandum for registration as a co-operative under this Act shall be accompanied by a fee amounting to one percent of the authorised equity capital of the proposed co-operative, such, however, that the fee shall be not less than rupees two hundred;
- provided that the fee shall be rupees two hundred in the case of such co-operatives as do not intend to have any equity capital.
- (2) The fee to be paid by co-operatives and others for various services rendered by the Registrar under this Act may be fixed by the Government and made known to the Registrar, who in turn shall make such information available to any interested person;
- provided that any change in the fee payable for any service may be made by the Government only after publishing in two leading vernacular newspapers or advertising in the vernacular electronic media, inviting comment from those affected.

CHAPTER III

MEMBERSHIP

- Eligibility for membership in a co-operative 15. (1) Any person who needs the services of a co-operative, expresses willingness to accept the responsibilities of membership, meets such other conditions as may be specified in the articles of association of the co-operative, and is in a position to use the services, may seek membership and be admitted as a member;
- provided that the co-operative is in a position to extend its services to the applicant.

- (2) Every applicant for membership, and every member of a co-operative must keep each co-operative of which the person is a member, informed of membership in other co-operatives, and it shall be lawful for a co-operative to refuse admission or remove from membership on grounds, among others, of dual or conflicting membership.
16. (1) Admission to membership shall be made, in accordance with the procedure specified in the articles of association, only by an elected Board. Admission of Members
- (2) Where admission is refused, the decision with the reasons thereof shall be communicated by registered post to such applicant within fifteen days of the date of the decision, or within sixty days from the date of application for membership, whichever is earlier.
- (3) Where an applicant has been refused admission by the Board, or has had no response from the Board, the applicant may request the Board to place the matter for review by the arbitral tribunal. The Board shall place the matter before the arbitral tribunal at its next meeting and the decision of the general body shall be final;
- provided that the applicant shall be given an opportunity to be heard by the arbitral tribunal.
17. (1) A member may at any time withdraw from membership in a co-operative in accordance with the procedure specified in the articles of association of that co-operative. Membership withdrawal
- (2) Before withdrawal from membership he/she will fulfil all such obligations as were enjoined upon him/her as a member, under the provisions of this Act, the articles of association or other agreements.
18. (1) A person shall cease to be a member on death or on incurring such disqualification as may be specified in the articles of association. Cessation of membership
- (2) Every co-operative shall inform, in the event of the death of the member, the nominee of the member, and in every other instance, the member, about the cessation of membership and consequences thereof.
19. (1) The Board of a co-operative may terminate the membership of a person who has acted adversely to the objects and interests of the co-operative, including the violation by the member of the articles of association of the co-operative, the policies of the general body or Board, and/or contracts entered into by the member with the co-operative; Termination of membership
- provided the member has been given a fair opportunity to make a representation at the Board meeting as to why membership should not be terminated.
- (2) Where the membership of a person has been terminated by the Board, the person may request the Board to place its decision for review by the arbitral tribunal. The Board shall place the matter before the general body at its next meeting and the decision of the arbitral tribunal shall be final;
- provided that pending the decision of the general body the person may have only such transactions, if any, with the co-operative, as may be permitted by the Board.

- | | |
|--------------------------------|--|
| Register of members | 20. (1) Every co-operative shall maintain a register of members. The name of every person admitted as a member of the co-operative, the date of admission, and the address of the member shall be entered in the register along with such other particulars as are deemed necessary by the Board.

(2) The name of every person whose membership has ceased, or was terminated or withdrawn, shall be struck off the register. |
| Co-operative education | 21. (1) Every co-operative shall include in its annual budget, a provision for expenses on member and potential member education and staff and Board training for the development of the co-operative in accordance with the principles and practices of cooperation.

(2) Any balance under the budget head provided for under sub-section (1) shall be transferred at the end of the year into a co-operative education fund, and may be used only for the purpose of educating and training members, potential members, staff and Directors in co-operative principles and practices. |
| Services primarily for members | 22. (1) A co-operative's services shall normally be available to members only.

(2) After two years of its being registered under this Act, any co-operative found to be providing more than one-fourth of its core services, as specified in its articles of association, in terms of the value of transactions, to non-members in any given financial year shall be deemed to be an "aberrant co-operative" and may be liable to lose for that year exemptions, if any, provided to it, on the ground that it is a co-operative, by this or other laws.

(3) Any co-operative found to be "aberrant" for continuous three years shall be deregistered or dissolved by the Registrar;

provided that such co-operative shall be given an opportunity of being heard before the deregistration or the dissolution. |
| Exercise of rights | 23. (1) No member of a co-operative shall exercise the rights of membership, including the right of vote, unless the member has made such payments to the co-operative in respect of membership or has acquired and continues to have such interest in the co-operative, including a minimum use of the services of the co-operative, as may be specified in the articles of association.

(2) Every year, within twenty days of closure of the previous financial year, the chief executive shall prepare a list of members with the right of vote, and a list of members without the right of vote, valid for the current financial year. The list shall be affixed to the notice Board of the co-operative for information of all members, and any member, not satisfied with the specific instances of inclusion or non-inclusion of members in the lists, may appeal to the Board within ten days of the affixation of the lists on the notice Board, for re-examination of the records, and the Board shall, within forty five days of closure of the previous financial year, review the lists, finalise them, and have them affixed to the notice Board of the co-operative. |
| Voting rights of members | 24. (1) In primary co-operatives, each members shall have one vote;

provided that a person shall have been a member for at least one full financial year, before being eligible to vote; |

provided that the condition of one year membership shall not apply to the members who join at registration/ conversion or at any time after the registration/ conversion of a co-operative but before the first financial year ending;

- (2) In secondary co-operatives, the articles of association may make provision for voting rights of a primary co-operative proportional to the numbers of members in the primary cooperative.

25. (1) A co-operative shall be registered with limited liability, where;

Liability of member

a "co-operative with limited liability" means a co-operative in which the liability of its members for the debts of the co-operative is limited by its articles of association, to such form and extent as they may undertake to contribute to any deficit in the assets of the co-operative, in the event of its being wound up.

- (2) Where a co-operative amends its articles of association to change the form and extent of its members' liability, it shall, within fifteen days of such amendment, give notice thereof together with a copy of the amendment to its members and creditors and, notwithstanding any provision in the articles of association or contract to the contrary, any member other than one who voted in favour of the proposed change, or creditor shall, during a period of fifteen days from the date of service of the notice upon him/her, have the option of withdrawing from the co-operative, his/her interests, subject to the discharge of his/her obligations to the co-operative.

- (3) Any member or creditor who does not exercise his/her option within the period specified in sub-section (2) shall be deemed to have assented to the resolution.

- (4) An amendment passed under sub-section (2) shall not take effect until

(a) all claims of the members and creditors of the co-operative who have exercised the option under sub-section (2) have been met in full or otherwise satisfied; and

(b) notice of the amendment of the articles of association of the co-operative has been received by the Registrar in accordance with this Act.

- (5) Where a co-operative is ordered to be dissolved, the liability of a past member, who ceased to be a member, or of the estate of a deceased member, who died, within two years immediately preceding the date of order of dissolution, shall continue until completion of the liquidation proceedings, but such liability shall be limited only to the debts of the co-operative as they existed on the date of cessation of membership or death, as the case may be.

- (6) Subject to the provisions of sub-section (5), the liability of a member or of the estate of a deceased member for the debts of the co-operative as they existed

(a) in the case of a past member, on the date on which the person ceased to be a member; and

(b) in the case of a deceased member, on the date of his/her death; shall continue for a period of two years from such date.

General body

26. (1) There shall be a general body for every co-operative consisting of all the members of such co-operative.

(2) Subject to the provisions of this Act and the articles of association of a co-operative, the ultimate power of a co-operative shall vest in the general body of its members;

provided that nothing contained in this sub-section shall affect the exercise by the Board or any other authority of a co-operative of any power conferred on such Board or such other authority by this Act.

(3) Any function or responsibility, falling within the scope of a co-operative as a legal entity, which has not been specifically entrusted by this Act or the articles of association, to any of the several authorities within the co-operative, may be dealt with by the general body, on a reference by the Board of Directors.

Functions and responsibilities of general body

27. (1) The following and such other matters as are considered necessary by the Board, shall be dealt with by the general body at its Annual General Meeting:

- (a) action on resolutions of the previous meeting;
- (b) consideration of the long term plan and budget, when required;
- (c) consideration of the annual operational plan and budget for the current financial year;
- (d) appointment of auditors for the current financial year;
- (e) consideration of the annual report of activities for the previous financial year;
- (f) consideration of the annual audited statements of accounts, and the audit report relating to the previous financial year;
- (g) consideration of the report on deviations, if any, from the approved budget relating to the previous financial year and the appropriate action to be taken;
- (h) disposal of surplus, if any, of previous financial year;
- (i) management of deficit, if any, of previous financial year;
- (j) creation of specific reserves and other funds;
- (k) review of actual utilisation of reserves and other funds;
- (l) review of the report on the attendance at meetings by Directors;
- (m) review of the use of the co-operative's services by the Directors;
- (n) review of remuneration paid to any Director or member of any committee or internal auditor in connection with his/her duties in that capacity or his/her attendance at related meetings;
- (o) review of quantum and percentage of services provided to non-members vis-à-vis services provided to the members;
- (p) appeal of a person whose application for membership has been rejected by the Board;
- (q) appeal of a person who has been expelled from membership by the Board;
- (r) report of activities and accounts related to member education and Board and staff training.

- (2) The following and other matters when considered necessary by the Board, shall be dealt with by the general body at its annual or other general meeting:
- (a) election of Directors;
 - (b) amendments to articles of association;
 - (c) removal of Directors;
 - (d) elections/appointments to casual vacancies on the Board;
 - (e) removal, and consequent appointment of auditors;
 - (f) membership of the co-operative in secondary co-operatives;
 - (g) partnership with other co-operatives;
 - (h) amalgamation, division, merger, transfer of assets and liabilities;
 - (i) dissolution of the co-operative;
 - (j) consideration of the Registrar's report of inquiry, if any.
28. (1) The Board of a co-operative may, at any time, call a general meeting of the members of the co-operative: General meetings
- provided that one such meeting known as Annual General Meeting shall be held within one hundred and fifty days of the closure of the co-operative's financial year to deal with the matters specified in section 27(1).
- (2) The Board shall hold a special general meeting within thirty days of the date of receipt of a requisition from:
- (a) one-fifth of the members having the right to vote or 500 members having the right to vote ; or
 - (b) the Registrar, in pursuance of the Registrar's functions under this Act;
- provided that any such requisition shall contain the reasons why the proposed agenda and the meeting is felt necessary, and no subject other than the subjects included in the proposed agenda shall be discussed at the special general meeting.
- (3) All Directors shall cease to be Directors at the end of the period within which an Annual General Meeting under sub-section (1) or a special general meeting under sub-section (2) is required to be held, if the Board fails to hold such general meetings within the specified period.
- (4) All Directors shall cease to be Directors at the Annual General Meeting, if the audited annual financial statement and auditor's comments and observations, if any, along with the report of activities for the previous financial year were not made available to the members along with the notice to attend the Annual General Meeting at which the report and accounts are to be considered by the general body, and such general meeting shall be conducted by the chair person appointed by the Arbitral Tribunal.
- (5) The quorum for a general meeting shall be as specified in the articles of association, but shall not be less than one-fifth of the members eligible to vote at the meeting;
29. (1) Every co-operative shall maintain, in the language specified by the articles of association, in the minutes book, minutes of all proceedings of every general meeting and the chief executive shall send the copy of the minutes within fifteen days of the conclusion of every such meeting to all members. Minutes of general meetings

- (2) The minutes so recorded shall be signed by the person who chaired the said meeting, or in the event of his/her incapacity to sign the minutes within the time required, by a Director duly authorised by the Board.

CHAPTER IV

MANAGEMENT

Board of Directors 30.

There shall be an elected Board of Directors for every co-operative constituted and entrusted with the direction of the affairs of the co-operative in accordance with the provisions of the articles of association;

provided that in the case of a co-operative registered under this Act, the persons who have signed the application for the registration of the co-operative may appoint a promoter Board, for a period not exceeding one year from the date of registration, to direct the affairs of the co-operative and to get elections of Directors conducted within the period referred to herein; and the promoter Board appointed under the proviso shall cease to function as soon as a regular Board has been constituted in accordance with the articles of association;

provided further that in the case of a co-operative society originally registered under the Co-operative Societies Act and subsequently registered under this Act, the elected members of the Board, whose term has not expired at the time of registration under this Act, may be deemed to be the promoter Board, for a period not exceeding one year from the date of registration under this Act, to direct the affairs of the co-operative and to get elections of Directors conducted within the period referred to herein; and the deemed promoter Board under the proviso shall cease to function as soon as a regular Board has been constituted in accordance with the articles of association.

Functions and responsibilities of Board

31. (1) The Board may perform functions and discharge responsibilities as specified in and in accordance with the terms, conditions and procedure laid down in the articles of association;

provided that the following functions and responsibilities shall be those of the Board:

- (a) to interpret the organisational objectives, to set up specific goals to be achieved towards these objectives, and to make periodic appraisal of operations;
- (b) to elect and remove office bearers;
- (c) to appoint and remove the chief executive;
- (d) to frame regulations for the appointment of all employees of the co-operative and the scales of pay, allowances and other conditions of service including disciplinary action;
- (e) to finalise long term perspective plan, annual plan and budget, and to direct the affairs of the co-operative in accordance with the plan and budget approved by the general body;

- (f) to make arrangements for the mobilisation of funds;
- (g) to authorise acquisition and disposal of immovable property; and
- (h) to frame, approve and amend regulations relating to services, funds, accounts and accountability and information and reporting systems.
- (2) Every Director of a co-operative while performing functions, discharging responsibilities, and exercising powers shall:
- (a) act honestly and in good faith and in the best interests of the co-operative; and
- (b) exercise such due care, diligence and skill as a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances.
- (3) Any Director who is guilty of misappropriation, breach of trust or any other omission or commission, resulting in loss or shortfall in revenue to the co-operative, shall be personally liable to make good that loss or shortfall, without prejudice to any criminal action to which the Director may be liable under law.
32. In addition to such other conditions as may be specified in the articles of association, a member of a co-operative shall be eligible for being chosen as a Director of the co-operative, if: Eligibility for Directorship in a co-operative
- (1) such member has the right to vote in the affairs of the co-operative; and
- (2) such member has patronised the services of the co-operative during the previous financial year to the extent and in the manner specified in the articles of association; and
- (3) such member has no interest in any subsisting contract made with or work being done for the co-operative except as otherwise specified in the articles of association; and
- (4) three years have lapsed from the date that such member may have ceased to be a Director of the co-operative for reasons of
- (a) non-conduct of general meeting;
- (b) non-conduct of elections to the Board;
- (c) non-submission of annual report of activities, audited annual financial statements and/or auditor's report to the general body; or
- (d) absence from Board meetings.
33. (1) The conduct of elections of Directors to the Board shall be the responsibility of the Board of the co-operative. Elections
- (2) Elections shall be conducted in the manner specified in the articles of association. Elections shall be conducted before the term of office of the outgoing Directors comes to an end.
- (3) All Directors on the Board shall cease to be Directors at the point of time when any task required for the conduct of elections by the articles of association is not undertaken or completed and the Board has not immediately

taken necessary steps to continue with the process as required by the articles of association.

- (4) Elections of Directors shall normally take place at the Annual General Meeting.
- (5) Where a Board fails to conduct elections before the expiry of the term of the Directors, or where the process of elections is discontinued or suspended at any stage of the process and the Board has not initiated remedial measures, or where there are no Directors remaining on the Board, the Arbitral Tribunal, within such time and in such manner as specified in the articles of association, shall appoint a three-member ad-hoc Board from among members who are not members of the Arbitral Tribunal, nor members of the outgoing Board, nor intend to stand as candidates for the elections on hand, for the specific purpose of conducting elections and to perform all functions of the Board during the interregnum except those proscribed by the articles of association.
- (6) The term of the ad-hoc Board so appointed shall not exceed three months and the ad-hoc Board shall cease to function as soon as a regular Board is elected in accordance with the articles of association.
- (7) The Directors shall hold office for the period for which they were elected and the newly elected Directors shall assume office at the end of this period.
- (8) The Directors may not be eligible, if so specified in the articles of association, for re-election.
- (9) Where there are vacancies on the Board and where there is a quorum, the remaining Directors may exercise all the powers of the Board or may fill the vacancies by cooption for the remainder of the respective terms.
- (10) Where there are vacancies on the Board and where there are not sufficient number of Directors to constitute a quorum for Board meetings, the Arbitral Tribunal shall call a general meeting for the purpose of electing Directors to fill the vacancies.

Tenure of Directors

34. Where the articles of association provide for retirement of all Directors at once, the tenure of office of all the Directors, and, where the articles of association provide for retirement of Directors by rotation, the tenure of office of the individual Directors shall be for such period as specified in the articles of association, not exceeding three years from the date of assumption of office, as specified in the articles of association.

Board meetings

35. (1) The president of a co-operative may, at any time, call a meeting of the Board of Directors:

provided, however, that at least four Board meetings shall be held in a co-operative year, and the period between two consecutive Board meetings shall not exceed one hundred and twenty days.

- (2) The president shall hold a special Board meeting within fifteen days of the date of receipt of a requisition from:

(a) at least one-third of the Directors on the Board; or

(b) the Auditor;

provided that any such requisition shall contain the reasons why the meeting is felt necessary and the proposed agenda, and no subject other than the subjects included in the proposed agenda shall be discussed at the special Board meeting.

- (3) The president shall cease to be president at the end of the period within which a Board meeting under sub-section (1) or (2) or the articles of association has to be held if the president fails to hold such Board meeting within the specified period.
 - (4) An individual who ceases to be president under sub-section (3) shall not be eligible to hold the office of president for a period of six years from the date of such cessation.
 - (5) The quorum for a Board meeting shall be as specified in the articles of association, but shall be more than half of the total number of Directors on the Board.
 - (6) The procedure to convene and conduct the Board meetings shall be such as specified in the articles of association.
 - (7) If a Director fails to attend three consecutive Board meetings, the Director shall cease to be a Director, from the date of the third Board meeting.
36. (1) Every co-operative shall maintain, in the language specified by the articles of association, in the minutes book, minutes of all proceedings of every Board meeting and the chief executive shall send the copy of the minutes within seven days of the conclusion of every such meeting to all Directors. Minutes of Board meetings
- (2) The minutes so recorded shall be signed by the person who chaired the said meeting or by the person who chairs the following meeting, wherein the minutes are confirmed.

CHAPTER V

FINANCE

37. (1) A co-operative may mobilise funds including equity capital, deposits, grants, and loans from its members in such form, to such extent and under such conditions as may be specified in the articles of association. Mobilisation of funds
- (2) A co-operative may raise funds and other forms of financial support including guarantee but excluding share capital from non-members including individuals, banks, other financial and non-financial institutions and the Government, on mutually agreed terms, to such extent and subject to such conditions as may be specified in the articles of association.
38. (1) The funds mobilised by a co-operative shall be for the furtherance of its objectives. Deployment of funds

- (2) Such of its funds as are not needed for use in its business, a co-operative may invest or deposit, outside its business, in any manner specified in Section 11(5) of the Income Tax Act, 1961.

Disposal of surplus 39. (1) Surplus, if any, arising out of the business of a co-operative in a financial year may be used in one or more of the following ways:

- (a) towards a deficit cover fund;
- (b) to be distributed as surplus refund among its members;
- (c) to develop its business;
- (d) towards reserves and funds constituted in accordance with the articles of association;
- (e) to provide common services to its members;
- (f) to provide rewards or incentives to staff;
- (g) towards a non-divisible corpus fund;

provided that surplus arising out of services provided to non-members may not be distributed amongst members or staff, but may be used for the provision of common services to the community at large, and for encouraging potential members to become members.

- (2) Surplus must be fully allocated at the annual general meeting in which the audited statements of accounts for the financial year in which the surplus arose are presented for the consideration of the general body.

Management of deficit

40. (1) Deficit, if any, arising out of the business of a co-operative in a financial year, shall be fully settled by debiting a part or all of the deficit to the deficit cover fund, if any, and/or as deficit charge, among its members;

provided that nothing in this sub-section shall preclude a co-operative from also proceeding against its Directors for recovery of amounts contributing to the deficit, where such deficit is the result of deviation from the approved plan and/or budget, and where such deviation does not receive the approval of the general body, or is the result of gross negligence or mismanagement;

provided further that where such amounts are recovered, the general body may resolve to credit a part or the entire amount to the deficit cover fund and/or to the account of each member in proportion to the deficit charge levied on him/her in this regard.

- (2) No member shall be permitted to withdraw from the membership of the co-operative without paying his/her share towards clearing the deficit, if any.

Operation of special funds

41. (1) A co-operative may, in the interest of its members and towards the fulfilment of its objectives, create reserves and such other funds as are specified in the articles of association or resolved on by the general body.

- (2) Funds so created may be used in the business of the co-operative, but at the end of every year, on that portion of each fund which was not applied for the purpose for which it was created, the co-operative shall credit to the account of such fund an annual interest, not less than at the rate paid by scheduled banks on long term fixed deposits, debiting such interest as operational expenditure.

42. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any claim of the Government in respect of land revenue, any debt or other amount due to a co-operative by any member shall be a first charge upon such properties of the member as agreed to by the co-operative, and as the member may declare in the manner specified in the articles of association, at the time of membership, and subsequently thereafter. First charge

CHAPTER VI

ACCOUNTABILITY

43. (1) Every co-operative shall keep at its registered office, the following accounts, records and documents: Accounts, records and documents to be maintained
- (a) a copy of this Act, with amendments made from time to time;
 - (b) a copy of its articles of association, with amendments made from time to time;
 - (c) the minutes books;
 - (d) account of all sums of money received and expended by the co-operative and their respective purposes;
 - (e) account of all purchases and sales of goods by the co-operative;
 - (f) account of the assets and liabilities of the co-operative;
 - (g) a list of members, their fulfilment of responsibilities over the previous financial year, their eligibility to exercise their rights for the current financial year updated within forty five days of closure of the co-operative's financial year; and
 - (h) all such other accounts, records and documents as may be required by this Act or other laws and regulations;

provided that where a co-operative has branch offices, summarised statements of accounts relating to such branch office/s, shall be available at the registered office for each quarter, within fifteen days of the end of that quarter.

- (2) Every co-operative shall keep open the books of account and other records for inspection by any Director during business hours, in accordance with the procedure framed by the Board.
- (3) Every co-operative shall make available, during its business hours to any member who so requests, copies of this Act, articles of association, minutes book of the general body, voters' list and such accounts and records of transactions that relate to that member.
- (4) Every co-operative shall preserve its books of accounts relating to a period of at least eight years before the current year together with supporting records and vouchers.

44. (1) A co-operative shall get its accounts audited by a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949; Audit

provided that where a co-operative's business turnover is less than Rs. ten lakhs, it may appoint as auditor, any person/s, from within its membership or outside, with such qualifications as are specified in the articles of association.

[Explanation: For the purpose of this section, business-turnover shall mean the value of sales, services provided and/or loans recovered.]

- (2) A co-operative, at its Annual General Meeting, shall appoint an auditor. This appointment will be valid only until the close of the next succeeding Annual General Meeting.
- (3) The remuneration of an auditor may be fixed by the general body or, if not so fixed, by the Arbitral Tribunal.
- (4) An auditor ceases to hold office when the auditor
- resigns;
 - is removed from office under sub-section (6); or
 - completes his/her term of office.
- (5) The resignation of an auditor becomes effective at the time a written resignation is received by the co-operative, or at the time specified in the resignation whichever is later.
- (6) The general body may, by a special resolution, remove an auditor from office.
- (7) An auditor, who
- resigns; or
 - receives a notice or otherwise learns of a Board's meeting called for the purpose of removing him/her from office;
- is entitled to submit to the Board a written statement giving the reasons for the auditor's resignation or the comments on the proposed removal, as the case may be.
- (8) A vacancy created by the resignation of an auditor shall be filled up by the arbitral tribunal.
- (9) A vacancy created by the removal of an auditor, too, shall be filled up by the arbitral tribunal.
- (10) An auditor appointed to fill a vacancy holds office for the unexpired term of his/her predecessor.
- (11) The auditor shall be given notice of every general meeting and, at the expense of the co-operative, will be entitled to attend and be heard thereat on matters relating to the auditor's duties as auditor and their exercise.
- (12) It shall be the duty of the Board to ensure that annual financial statements are prepared and presented for audit within forty-five days of closure of the co-operative's financial year.
- (13) Upon the reasonable demand of the auditor of a co-operative, the chief executive shall arrange to
- provide such access to records, documents, books, accounts and vouchers of the co-operative; and
 - furnish such information and explanations,
- as are, in the opinion of the auditor, necessary to enable him/her to make the examination and report, and as the chief executive or a present or former Director, members, managers, or employees are reasonably able to furnish.

- (14) It shall be the duty of the auditor to ensure that audited annual financial statements and the auditor's accompanying report are furnished to the co-operative within sixty days of the submission of annual financial statements by the Board.
- (15) The auditor's report to the members of the co-operative shall:
- (a) state whether the auditor has obtained all the information and explanations which to the best of the auditor's knowledge and belief were necessary for the purpose of the auditor's audit;
 - (b) state whether the co-operative's balance sheet and income and expenditure account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;
 - (c) indicate the basis on which each asset and liability was valued, and make specific mention of any change in the manner in which such valuation was done in the year under examination and its effect on surplus/deficit;
 - (d) indicate the amount of surplus earned/deficit incurred from provision of services to non-members as distinct from surplus/deficit accruing because of members or in normal course of business;
 - (e) indicate every deviation in actual expenses and income from the estimated expenses and income in the approved budget;
 - (f) specify the gross remuneration and/or honorarium and/or allowances paid and/or value of benefits provided, if any, to the chief executive, any of the office bearers, or Directors, in the financial year under audit;
 - (g) state whether or not any of the office bearers or Directors had become, at any time during the year under review, ineligible under this Act to continue in office as an office bearer or Director; and
 - (h) state whether the decisions on disposal of surplus or assessment of deficit, of the general body, at its previous annual general meeting were implemented correctly and completely or not.
45. (1) Every year, within thirty days of the holding of the annual general meeting, every co-operative shall file the following returns with the Registrar:
- Returns to be filed with the Registrar
- (a) annual report of activities;
 - (b) audited annual statements of accounts with auditor's report;
 - (c) statistical statement indicating name of the co-operative; core services offered by the co-operative to its members; total number of members as on the last day of the year; total liabilities expressed as (i) funds from members, and surpluses, (ii) funds from the Government, if any, and (iii) funds from other external sources as on the last day of the financial year; quantum in rupees of services provided (i) to members, and (ii) to non-members; and surplus/deficit at end of year.
- (2) Along with the returns specified in sub-section (1), every co-operative shall furnish the following information to the Registrar:
- (a) the date of the Annual General Meeting at which the returns being filed with the Registrar were considered and/or approved;
 - (b) the total number of members on the rolls of the co-operative who were eligible to vote on the date of such Annual General Meeting;

- (c) the number of eligible members present at such Annual General Meeting;
- (d) list of names of Directors, their addresses and their terms of office;
- (e) name and address of the auditor appointed for auditing the current year's accounts.
- (3) The Registrar shall submit an annual report to the Government by 30 June of each year, containing statistical information on the co-operatives in the state compiled from the returns received during the previous financial year, under sub-section (1)(c), with regard to the total number of co-operatives in the state, their membership, funds, services and surplus/deficit; and the report shall also contain information on the strength of staff in the department of cooperation, including those on deputation, establishment expenses on the department, fee raised under this Act by the department, and a statistical summary of statutory powers exercised during the previous financial year.
- (4) Any person may apply in writing to the Registrar seeking a copy of the annual report, or of any return/s or any information filed by the co-operatives with the Registrar, and such information shall be made available by the Registrar on reasonable fee.
- (5) Where the co-operatives under sub-section (1) and (2) fail to file the returns and information to the Registrar within the specified period, the Registrar may impose a penalty not exceeding thousand rupees after giving the co-operative, an opportunity of being heard.
- Inquiry 46. (1) The Registrar may, after first providing an opportunity to the co-operative concerned to present its case, for reasons to be recorded in writing, on his/her own motion, or on the application of a secondary co-operative to which the co-operative is affiliated, or of a creditor to whom the co-operative is indebted, or of not less than one-third of the Directors, or of not less than one-tenth of the members, hold an inquiry or cause an inquiry to be made into any specific subject or subjects relating to any gross violation of any of the provisions of this Act by the co-operative.
- (2) Except when an inquiry is undertaken on the Registrar's own motion, the Registrar shall order an inquiry only after the receipt of a fee, from the applicant or the applicants, deemed sufficient to meet the costs of the inquiry to be conducted.
- (3) The inquiry shall be completed within a period of one hundred and twenty days from the date of ordering the inquiry. It is further provided that the Registrar may not extend this period beyond sixty days.
- (4) The Registrar shall, within a period of thirty days from the date of the completion of the inquiry, as specified in sub-section (3), communicate the report of the inquiry or the reasons for the non-completion of the inquiry, as the case may be,
- (a) to the co-operative concerned;
- (b) to the applicant secondary co-operative, if any;
- (c) to the applicant-creditor, if any;
- (d) to the person designated by the applicant-Directors, if any;
- (e) to the person designated by the applicant-members, if any; and
- (f) to any person, on payment of fee specified by the Registrar.

CHAPTER VII

OFFENCES

47. (1) Any person who wilfully or knowingly makes or assists in making a report, return, notice or other document required in this Act to be sent to the Registrar that contains an untrue statement of a material fact or omits a material fact whose absence makes a statement in the report misleading shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both. Offences
- (2) Where the person guilty of an offence under sub-section (1) is a body corporate and whether or not the body corporate has been prosecuted or convicted, any Director or officer of the body corporate who knowingly authorises, permits or acquiesces in the offence is also guilty of an offence and liable on summary conviction to imprisonment which may extend to ninety days or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.
- (3) Every person who:
- (a) without reasonable cause, contravenes any provision of this Act for which no penalty is otherwise provided; or
- (b) fails to give any notice or send any return or document that is required by this Act;
- is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine which may extend to ten thousand rupees.
- (4) An offence by a co-operative shall be deemed to have been also committed by office-bearer of the co-operative bound by the articles of association thereof to fulfil the duties whereof the offence is a breach, or if there is no such office-bearer, then by each of the Directors, unless the office-bearer or the Directors, as the case may be, prove to have attempted to prevent the commission of the offence.
- (5) Where a person is convicted of an offence under this Act, the Court may, in addition to any punishment imposed, order the person to comply with the provisions of the Act.
- (6) No prosecution for an offence under this Act shall be commenced after two years from the time when the cause of action or the subject matter of the complaint arose.
- (7) No civil remedy for an act or omission under this Act is suspended or affected by reason that the act or omission is an offence under this Act.

CHAPTER VIII

DISPUTES

Disputes

48. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if any dispute touching the constitution, management or business of a co-operative arises
- (a) among members, past members and persons claiming through members and deceased members; or
 - (b) between a member, past member or a person claiming through a member, past member or deceased member and the co-operative, its Board, Director, office-bearer, or liquidator, past or present; or
 - (c) between the co-operative or its Board and any past Board, any Director, office-bearer, or any past Director, past office-bearer, or the nominee, heir, or legal representative of any deceased Director or deceased office-bearer of the co-operative,

such dispute shall be referred to the Arbitral Tribunal of the co-operative.

[Explanation: For the purposes of this sub-section, a dispute shall include a claim by a co-operative for any debt or other amount due to it from a member, past member, the nominee, heir or legal representative of a deceased member, and/or surety, whether such debt or other amount be admitted or not.]

- (2) If any question arises whether a dispute referred to the Arbitral Tribunal under this section is a dispute touching the constitution, management or business of the co-operative, such question shall be decided by the Arbitral Tribunal.
- (3) The Arbitral Tribunal shall decide the dispute in accordance with the provisions of this Act and the articles of association, and such decisions shall be final. Pending final decision on the dispute, the Arbitral Tribunal may make such interlocutory orders, as it may deem necessary in the interest of justice.
- (4) Every order or decision made under this section, shall be executed by the civil court having jurisdiction, as if such order is a decree of that court, on a certificate issued by the Arbitral Tribunal.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), or in any other law for the time being in force, and without prejudice to any other mode of recovery which is being taken or may be taken, an Arbitral Tribunal may, on the application made by the co-operative for the recovery of arrears due to the co-operative by any of its members, and on its furnishing a statement of accounts in respect of the arrears and after making such inquiry as the tribunal deems fit, issue a certificate for the recovery of the amount stated therein to be due as arrears.
- (6) A certificate issued by the Arbitral Tribunal under sub-section (5) shall be final and conclusive proof of the arrears stated to be due and the certificate shall be executed by the chief executive in the manner specified in the articles of association.

49. (1) The articles of association of each co-operative shall provide for the constitution of an Arbitral Tribunal as defined in section 2(1). Arbitral Tribunal

(2) The term of office shall be not more than three years;

provided when an Arbitral Tribunal consists of more than one member, it may choose for reasons to be set forth in writing that a dispute or set of disputes referred to it for settlement be resolved by one or more of its members, and the decision of such member or members shall be deemed to be a decision of the Arbitral Tribunal; and

provided further that when the Arbitral Tribunal consists of more than two members in odd number, the majority decision shall be final.

(3) A member of the Arbitral Tribunal shall have such qualifications as are specified in the articles of association;

provided that no person who has served as a member of Arbitral Tribunal shall be eligible to contest elections to the Board of that co-operative for the next three years.

CHAPTER IX

DISSOLUTION

50. (1) A co-operative may, by a special resolution, authorise its own dissolution; Dissolution by members

provided that a copy of the notice of the general meeting shall be sent by registered post with an invitation to attend, to the Registrar, to all to whom the co-operative owes money, to any secondary co-operative to which the co-operative is affiliated, and to any co-operative/s with which a partnership contract has been entered into.

(2) Invitees under the proviso of sub-section (1) shall have the right to make a presentation to the general body, if they so wish to, on the issue of the proposed dissolution.

(3) Within fifteen days of such authorisation for dissolution, the co-operative shall send to the Registrar a copy by registered post of the authorisation to dissolve the co-operative.

(4) The authorisation approved in pursuance of sub-section (1) is required to set out:

- (a) the assets and liabilities of the co-operative;
- (b) the claims of creditors;
- (c) the number of members;
- (d) the nature and extent of the members' interest in the co-operative;
- (e) the name and address of the liquidator appointed by the co-operative.

(5) When the Registrar receives the special resolution passed in pursuance of sub-section (1):

- (a) where the Registrar is satisfied that the co-operative has no assets or liabilities, the Registrar may dissolve the co-operative, strike off its name from the register of co-operatives and issue a certificate of dissolution; or
- (b) the Registrar shall, within thirty days of such approval, cause at the expense of the co-operative a notice of the special resolution to be published once a week for two consecutive weeks in a newspaper published or distributed in the district where the registered office of the co-operative is located.
- (6) In the case of dissolution, the Registrar may require, till the certificate of dissolution is issued by him/her, from the liquidator appointed by the co-operative or any other person who is required to furnish information, a periodical return showing:
- (a) the progress of dissolution;
- (b) the distribution of any undistributed surplus or reserve; and
- (c) any other relevant information that the Registrar may require.
- Dissolution by Registrar 51. (1) Where the Registrar has reasonable cause to believe that a cooperative:
- (a) has not commenced business within two years after the date shown on its certificate of registration; or
- (b) has not carried on business for two consecutive years;
- he/she shall send to the cooperative a letter by registered post, inquiring whether the cooperative is carrying on business.
- (2) Where the Registrar does not, within thirty days of the date he/she sent a letter in pursuance of sub-section (1), receive an answer to the letter, he/she shall, within fifteen days after the expiry of thirty days, send to the cooperative a letter stating that:
- (a) a letter was sent to the cooperative in pursuance of sub-section (1);
- (b) no answer to that letter has been received by him/her; and
- (c) if an answer is not received to the letter sent under this sub-section within thirty days from the date it is sent, a notice will be published in the Gazette to dissolve the cooperative.
- (3) Where the Registrar:
- (a) receives an answer from the cooperative that it is not carrying on business; or
- (b) does not, within thirty days after the date that he/she sent a letter in pursuance of sub-section (2), receive an answer to that letter;
- he/she may publish in the Gazette and send to the cooperative a notice that, at the expiry of thirty days from the date of that notice, the cooperative will have its name struck off the register, or, unless cause is shown to the contrary, be dissolved.

- (4) At the expiry of thirty days after the date of the issue of the notice in pursuance of sub-section (3), the Registrar may, unless cause to the contrary is previously shown by the cooperative:
- where he/she is satisfied that the cooperative has no assets or liabilities, dissolve the cooperative, strike off its name from the register of cooperatives and issue a certificate of dissolution; or
 - appoint a liquidator to dissolve the cooperative, in accordance with section 53.
- (5) Where a cooperative fails to file returns and furnish information, as required under section 45, even after a lapse of two hundred and forty days from the close of the cooperative's financial year, the Registrar shall require the board to call a special general meeting for the purpose of considering the annual returns to be filed with the information to be furnished to the Registrar:
- (6) Where the board fails to call a special general meeting within the time period specified in Section 28(2), the Registrar may call the special general meeting:
- to review the affairs of the cooperative; and
 - to ascertain whether the general body desires to continue the cooperative.
- (7) Where:
- a quorum of members is not present at a special general meeting called in pursuance of sub-section (5) or (6); or
 - the general body fails to pass a resolution to the effect that:
 - the cooperative is to carry on business;
 - the board must present, within sixty days from the date of the special general meeting, to the general body the annual returns to be filed with and the information to be furnished to the Registrar; and
 - the cooperative will file the returns with and furnish the information to the Registrar within ninety days from the date of the special general meeting; or
 - the cooperative fails to file the returns with and furnish the information to the Registrar within ninety days from the date of the special general meeting;
- the Registrar may:
- where he/she is satisfied that the cooperative has no assets or liabilities, dissolve the cooperative, strike off its name from the register of cooperatives and issue a certificate of dissolution; or

- (ii) appoint a liquidator to dissolve the cooperative, in accordance with section 53.
- Dissolution by Court** 52. (1) The Registrar or an interested person may, after giving the cooperative ninety days notice of the proposed application, apply to the Court for an order dissolving a cooperative, where the cooperative:
- (a) obtained its registration by fraud or mistake;
 - (b) exists for an illegal purpose;
 - (c) has wilfully, after notice by the Registrar, violated any of the provisions of this Act or its articles of association; or
 - (d) is no longer operating on a cooperative basis.
- (2) Where an interested person applies to a Court in pursuance of this section, he/she shall give the Registrar notice of his/her application and the Registrar is entitled to appear and be heard in person or by counsel.
- (3) Where the Court receives an application in pursuance of this section, it may order that the cooperative be dissolved or liquidated and dissolved under the supervision of the Registrar.
- (4) Where the Registrar receives an order made in pursuance of sub-section (3), he/she shall:
- (a) if the order is to dissolve the cooperative, dissolve it, strike off its name from the register of cooperatives and issue a certificate of dissolution; or
 - (b) if the order is to liquidate and dissolve the cooperative, appoint any person as a liquidator to wind up the affairs of the cooperative.
- Appointment of liquidator** 53. Where a co-operative is to be dissolved and no liquidator is appointed by the general body, the Registrar may appoint any person as a liquidator to wind up the affairs of the co-operative with the direction that the liquidation proceedings be made final within two years from the date of appointment as liquidator.
- Duties of liquidator** 54. A liquidator shall:
- (a) immediately give notice to each claimant and creditor, known to the liquidator;
 - (b) immediately publish a notice regarding his/her appointment as liquidator in the Gazette, and once a week for two consecutive weeks in a local newspaper of the area where the co-operative has its registered office;
 - (c) place in the notice mentioned in clause (a) and (b), a provision requiring any person:
 - (i) indebted to the co-operative, to render an account and pay to the liquidator at the time and place specified any amount owing;

- (ii) possessing property of the co-operative, to deliver it to the liquidator at the time and place specified; and
- (iii) having a claim against the co-operative, whether liquidated, unliquidated, future or contingent, to present particulars of the claim in writing to the liquidator;

not later than sixty days from the first publication of the notice.

- (d) take into custody and control the property of the co-operative;
- (e) open and maintain a trust account for the moneys of the co-operative;
- (f) keep accounts of the moneys of the co-operative received and paid out by him/her;
- (g) maintain separate lists of the members, creditors and other persons having claims against the co-operative;
- (h) where at any time the liquidator determines that the co-operative is unable to pay or adequately provide for the discharge of its obligations, apply to the Registrar/general body as the case may be, for directions; and
- (i) deliver to the Registrar/general body, periodically as the Registrar/general body may require, financial statements of the co-operative in any form that the liquidator considers proper or that the Registrar/general body may require.

55.

- (1) The liquidator may:
 - (a) retain lawyers, accountants, engineers, appraisers and other professional advisors;
 - (b) bring, defend or take part in any civil, criminal or administrative proceeding in the name and on behalf of the co-operative;
 - (c) carry on the business of the co-operative as required for an orderly liquidation;
 - (d) sell by public auction or private sale any property of the co-operative;
 - (e) do all acts and execute any documents in the name and on behalf of the co-operative;
 - (f) borrow money on the security of the property of the co-operative;
 - (g) settle or compromise any claims by or against the co-operative; and
 - (h) do all other things that the liquidator considers necessary for the liquidation of the co-operative and distribution of its property.
- (2) Where a liquidator has reason to believe that any person has in his/her possession or under his/her control, or has concealed, withheld or misappropriated any property of the co-operative, the liquidator may apply to

Functions and responsibilities of liquidator

the Court for an order requiring that person to appear before the Court at the time and place designated in the order and to be examined.

- (3) Where the examination mentioned in sub-section (2) discloses that a person has concealed, withheld or misappropriated property of the co-operative, the Court may order that person to restore the property or pay compensation to the liquidator on behalf of the co-operative.
- (4) The liquidator shall not purchase, directly or indirectly, any part of the stock-in-trade, debts or assets of the co-operative.
- (5) The liquidator shall submit the progress of the liquidation proceedings and also render accounts from time to time, to the Registrar or general body, as the case may be.

Final accounts

56. (1) The liquidator shall pay the costs of liquidation out of the property of the co-operative and shall pay or make adequate provision for all claims against the co-operative.
- (2) After paying or making adequate provision for all claims against the co-operative, the liquidator shall apply to the Registrar for approval of the final accounts and for permission to distribute in money or in kind the remaining property of the co-operative in accordance with the articles of association.
- (3) Where the Registrar approves the final accounts rendered by a liquidator in pursuance of sub-section (2), he/she shall:
 - (a) issue directions with respect to the custody or disposal of the documents and records of the co-operative; and
 - (b) discharge the liquidator.
- (4) Where the Registrar discharges a liquidator in pursuance of sub-section (3), he/she shall dissolve the co-operative, issue a certificate of dissolution and strike off its name from the register of co-operatives.
- (5) The co-operative ceases to exist on the date shown in the certificate of dissolution.

CHAPTER X

MISCELLANEOUS

Exemption from certain taxes, duties and fees

57. The Government may by notification in the Gazette, and subject to such restrictions and conditions as may be specified therein, reduce or exempt in respect of co-operatives;
 - (a) the taxes on professions, trades, callings and employments;
 - (b) the stamp duty with which, under any law for the time being in force, instruments executed by or on behalf of a co-operative or by an office bearer or Director or member and relating to business of such co-operative or any class of such instruments or decisions or orders of the Registrar or Arbitral Tribunal or liquidator under this Act, are respectively chargeable; or

- (c) any fee payable under the law relating to registration for the time being in force or court fees.
58. Nothing in clauses 17(1)(b) and (c) of the Indian Registration Act, 1908 shall apply to --
- (a) any instruments relating to shares in a co-operative notwithstanding that the assets of the co-operative consist in whole or in part of immovable property;
- (b) any debentures issued by any such co-operative and not creating, declaring, assigning, limiting or extinguishing any right, title or interest to or in immovable property except in so far as it entitles the holder to the security afforded by a registered instrument whereby the co-operative has mortgaged, conveyed or otherwise transferred the whole or part of its immovable property or any interest therein to trustees upon trust for the benefit of the holders of such debentures; or
- (c) any endorsement upon or transfer of any other debenture issued by any such co-operative.
59. The Registrar, or any person appointed, or authorised to hold an inquiry under section 46, or a member of the tribunal under section 49, or a liquidator under section 53, shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Section 21 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860).
60. No person other than a co-operative shall engage in trade, or carry on business, under a name or title which includes the expression, "Sahkari" or its English equivalent, "co-operative".

Exemption from compulsory registration of instruments

Registrar and other officer to be public servants

Prohibition against the use of the word "Sahkari" or "Co-operative"

Schedule A

[Sections 2 (8) and 3(3)]

Statement of Co-operative Identity

[As adopted by the International Co-operative Alliance at Manchester on September 23, 1995]

1. A co-operative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. Definition
2. Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in the ethical values of honesty, openness, social responsibilities, and caring for others. Values
3. The co-operative principles are guidelines by which co-operatives put their values into practice. Principles

1st Principle: Voluntary and Open Membership

Co-operatives are voluntary organisations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political, or religious discrimination.

2nd Principle: Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote), and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

3rd Principle: Member Economic Participation

Members contribute to, and democratically control, the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed to as a condition of membership. Members allocate surpluses for any of the following purposes: developing their co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved by the membership.

4th Principle: Autonomy and Independence

Co-operatives are autonomous, self-help organisations controlled by their members. If they enter into agreements with other organisations, including Governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their co-operative autonomy.

5th Principle: Education, Training and Information

Co-operatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their co-operatives. They inform the general public - particularly young people and opinion leaders -- about the nature and benefits of cooperation.

6th Principle: Cooperation among Co-operatives

Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative movement by working through local, national, regional, and international structures.

7th Principle: Concern for Community

Co-operatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.

Schedule B
[Section 3 (4 and 5)]

Memorandum of Association

(for co-operatives to be registered)
(form in which to be submitted)

1. We, the following persons —

Sl. No.	Full Name in capital letters	Full postal address in capital letters	Occupation, if the promoters are individuals

desire to register ourselves into a co-operative under Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003.

(Please have as many rows above, as there are promoters.)

2. For the purposes of registration, Shri/Shrimati at serial number above shall be our representative, and all communication may be addressed to him/her, at his/her address.

3. The name of our co-operative shall be

4. The registered office of our co-operative will be situated in

(Please provide name of village/town/city in the blank space provided)

5. The object of our co-operative shall be

(Please state here only that need common to all members, which the co-operative hopes to fulfil, and for which it is being established — eg. increase in returns on dairying/sericulture/paddy farming, etc; or access to quality consumer goods/housing/production inputs at reasonable prices; or access to savings and credit/insurance, etc. Please do not provide here the list of services or activities through which this object will be fulfilled.)

6. We hereby declare that we are committed to the principles of cooperation as provided for in Schedule A of the Act and intend to manage our co-operative in conformity with these.

7. We have enclosed

(a) the articles of association of the proposed co-operative as adopted by us, the promoters;

(b) a true copy of the resolution passed by us, at a meeting, adopting the articles of association;

(c) a declaration from advocate/chartered accountant, Shri/Shrimati
that all the requirements of this Act have been complied with by us in respect of registration.

8. Signed by us, dated at place

Sl. No.	Full Name (preceded by name and designation of representative, where the promoters are co-operatives)	Signature

Schedule C
[Section 3(6)]

Certificate of Registration
(for a co-operative to be registered)

Registrar of Self Reliant Co-operatives

Government of Uttaranchal

Certificate of Registration under section 3 of the
Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003

I do hereby certify that the

.....
.....
.....

is registered with No together with its
memorandum of association and authenticated articles of association.

Given under my hand and seal
this day of

Registrar of Self Reliant Co-operatives
Government of Uttaranchal

Schedule D
[Section 4(2) and 6(3)]

Memorandum of Association

(for co-operatives to be converted from the
Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965)
(form in which to be submitted)

1. We, the Directors of the Board of the, state hereby, that the general body of our co-operative society desires that our co-operative society now be registered as a co-operative under the Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003.

(Please fill the current complete name of the co-operative society.)

2. For the purposes of registration, all communication may be addressed to, at

(Please fill the first blank with the name and designation of the contact person in the co-operative society, and the second blank with the full postal address of the co-operative society.)

3. The name of our co-operative, on conversion to the Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003, shall remain the same/become

(Based on whether or not the name will undergo change, please strike out whatever is inapplicable above.)

4. The registered office of our co-operative society is situated in, and shall remain the same/change to

(Please provide name of village/town/city in the blank space provided, and strike out that which is not applicable.)

5. The object of our co-operative society is, and on conversion shall be the same/change to

(Please state in the first blank only that need common to all members, for which the co-operative society was established, and in the second blank, please fill change, if any, in this object, upon conversion. Please do not provide here the list of services through which this object will be fulfilled.)

6. We have enclosed

- (a) a true copy of the resolution passed by our general body expressing commitment to the principles of cooperation as provided for in Schedule A of the Act ;
- (b) the articles of association of the proposed co-operative as adopted by our general body;
- (c) a true copy of the resolution passed by the general body, adopting the articles of association;

- (d) a true copy of the declaration of the general body stating that our co-operative society is not in receipt of any share capital from the government or any other external source, and does not intend ever to raise share capital from the government or any source other than members;
- (e) a true copy of the latest annual report and audited statement of accounts;
- (f) a true copy of the resolution of the general body along with particulars regarding the wiping off of accumulated losses from various reserves and/or by debiting to the accounts of members as decided at the meeting; (or) a true copy of the resolution of the general body stating that our co-operative society does not have losses, accumulated or current;
- (g) the statement on adjustment of accumulated losses, if any, certified by an auditor as correct;
- (h) a declaration from advocate/chartered accountant, Shri/Shrimati that all the requirements of this Act have been complied with by us in respect of registration.

7. Particulars about the general body meeting at which the decision to convert was taken.

Date of general body meeting	No. of members as on date of general body meeting	No. of members present at general body meeting	No. of members who voted for conversion

8. Signed by us, dated at place

Sl. No.	Full name of the Director	Designation	Signature

(Please note that there should be as many rows as there are Directors. The signature of the chief executive, too, should be obtained.)

Schedule E
[Section 4(2)]

Certificate of Registration
(for co-operative to be converted from
Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965)

Registrar of Self Reliant Co-operatives
Government of Uttaranchal

Certificate of Registration under section 4 of the
Uttaranchal Self Reliant Co-operatives Act, 2003.

I do hereby certify that the

.....
.....
is registered with No. together with its
memorandum of association and articles of association.

This co-operative is successor to the
.....

(Registration NoDt) registered under the U.P. Co-operative Societies Act, 1965 whose registration now stands cancelled, and is now deemed to have assumed all rights and obligations and assets and liabilities of its predecessor co-operative society. All acts and transactions of that predecessor co-operative society shall stand devolved on this co-operative.

Given under my hand and seal
thisday of

Registrar of Self Reliant Co-operatives
Government of Uttaranchal

Schedule F
[Section 6(3)]

Subject matter for specific consideration when framing articles of association of a co-operative

1. Identity of the co-operative

- (a) the name of the co-operative, and any shorter name by which the co-operative is to be popularly known ;
- (b) the village/town/city where the registered office of the co-operative is to be located ;
- (c) the custody and use of the common seal.

2. Aim and services

- (a) the aim of the co-operative explicitly stated as a common central need of the members which the co-operative aims at fulfilling ;
- (b) core-services, and support services to members to fulfil the common central need stated in the aim ;

- (c) the conditions under which services may be provided to non-members.

3. Membership

- (a) form for applying for membership ;
 (b) form for declaring assets by member upon which arrears due to the co-operative shall be a first charge ;
 (c) eligibility, ineligibility for obtaining membership ;
 (d) eligibility, ineligibility for continuing membership ;
 (e) procedure for obtaining membership ;
 (f) procedure for withdrawing membership ;
 (g) procedure for termination of membership ;
 (h) circumstances under which membership ceases ;
 (i) procedure for cessation of membership.

4. Member rights and obligations

- (a) the rights of members ;
 (b) manner of fixation of minimum performance expected annually of each member vis-à-vis use of services, financial commitment, participation in meetings, and adherence to articles of association, in order to be eligible to exercise the rights of membership including the right to vote ;
 (c) the consequences of performing below the minimum level fixed ;
 (d) the consequences of default in payment of any sum due by a member.

5. General body

- (a) the role of the general body, and of the representative general body, if any, and subjects which must be dealt with by the general body, and by the representative general body, if any ;
 (b) the manner and frequency of convening general meetings, and quorum required ;
 (c) the quorum necessary for adjourned meetings ;
 (d) conditions and manner in which Arbitral Tribunal may convene general meeting ;
 (e) the minutes of proceedings of general meetings ;
 (f) the person/s to take responsibility for, and the manner of convening an extraordinary general meeting, and the period within which such meeting ought to be convened, for the purpose of appointing an ad-hoc Board.

6. Board of Directors

- (a) the size and composition of the Board of Directors ;
 (b) eligibility, ineligibility for becoming Director ;
 (c) eligibility, ineligibility for retaining Directorship ;
 (d) the procedure for election and removal of Directors ;
 (e) the terms of office of the Directors ;
 (f) the frequency of Board meetings ;
 (g) the manner of convening Board meetings, and quorum ;
 (h) the functions, responsibilities and powers of the Board ;
 (i) the minutes of proceedings of Board meetings ;
 (j) the functions, responsibilities and powers of the Directors ;
 (k) eligibility, ineligibility for being appointed by Arbitral Tribunal as member of ad hoc Board.

7. President and other office-bearers

- (a) the election and removal of president and other office-bearers, if any ;
 (b) the functions, responsibilities and powers of the president and other office-bearers, if any.

8. Chief executive and staff

- (a) the person to sue or be sued on behalf of the co-operative ;
- (b) the manner of appointment and removal of chief executive ;
- (c) the functions, responsibilities and powers of the chief executive.

9. Finances

- (a) the financial year which the co-operative wishes to adopt ;
- (b) the manner of appointment of auditors and their role ;
- (c) the manner of appointment of internal auditors and their role ;
- (d) the nature and amount of equity capital, if any, of the co-operative ;
- (e) the maximum capital which a single member can hold ;
- (f) the types and extent of funds to be raised ;
- (g) the purposes for which the funds raised by the co-operative may be applied ;
- (h) the equity-debt ratio that the co-operative wishes to maintain at all times, and the maximum external debt that a co-operative wishes to permit itself at any point of time ;
- (i) procedure for transfer of shares or interest by a member ;
- (j) procedure for redemption of shares by the co-operative ;
- (k) procedure for transfer or payment of interest on death of member ;
- (l) the nature and extent of the liability of the members for the debts contracted by the co-operative ;
- (m) the nature and extent of the liability of the Directors for the debts contracted by the co-operative ;
- (n) the manner of disposal of funds if under liquidation ;
- (o) the manner of recovery of dues from members.

10. Secondary co-operatives

- (a) the rights, if any, which the co-operative wishes to confer on any secondary co-operative of which it is a member, and the circumstances under which these rights may be exercised by such secondary co-operative ;
- (b) the procedure for appointing and changing delegates to secondary co-operative.

11. Arbitral Tribunal

- (a) the manner of constitution and functioning of Arbitral Tribunal for settlement of disputes ;
- (b) eligibility, ineligibility for being chosen as arbitrator ;
- (c) eligibility, ineligibility for being continued as arbitrator ;
- (d) the manner in and conditions under which the Arbitral Tribunal may appoint ad hoc Board.

12. Other matters

- (a) the language in which the internal affairs of the co-operative are to be conducted ;
- (b) any provisions of transitory nature ;
- (c) the manner of dissolution of the co-operative ;
- (d) the manner of amending articles of association.

By order

BHAROSI LAL,
Secretary.